

“मज़बूत लोकतन्त्र – सबकी भागीदारी”

हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग



वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012—2013

(01.04.2012 से 31.03.2013)

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ
I.	विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत सूचना)	1—15
II.	विभाग के संविधिक (स्टैचुटरी) कार्य	16—26
III.	प्रशासनिक कार्य	27—40
IV.	परिशिष्ट	41—68

अध्याय—।

निर्वाचन विभाग को भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1984-85 में सचिवालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अतः निर्वाचन विभाग का मुख्यालय विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग का कार्य करता है। इस प्रकार निर्वाचन विभाग Single File System वाला विभाग है। इसका मुखिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन सचिव (निर्वाचन) होता है। वर्ष 2012-13 के दौरान मान्य मुख्य मन्त्री इस विभाग के मन्त्री प्रभारी रहे। निर्वाचन विभाग का विवरण, संगठनात्मक ढांचा, क्रियाकलाप, शक्तियां और कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं, जिनका वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत उल्लिखित है।

1. विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य

निर्वाचन विभाग एक गैर योजना विभाग है और विभिन्न प्रकार के निर्वाचनों के संचालन का उत्तरदायित्व निभाता है। यह विभाग निम्न प्रकार की संविधिक (Statutory) कार्य/ गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण में निर्वहन करता है :-

- 1 राष्ट्रपतीय/ उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन का संचालन,
- 2 राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन,
- 3 लोक सभा/विधान सभा के साधारण निर्वाचन/ उप निर्वाचन,
- 4 मतदान केन्द्रों की स्थापना,
- 5 मतदाता सूचियों की तैयारी एवं अद्यतन,
- 6 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना,
- 7 लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,
- 8 सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (SVEEP) योजना।

इसके अतिरिक्त दूसरे नियमित कार्य जैसे स्थापना/ बजट, लेखा, भण्डार की आपूर्ति/ वितरण इत्यादि का कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं।

विभाग के कार्य का विभाजन

(i) राज्य मुख्यालय स्तर पर

- (क) सचिव (निर्वाचन) बतौर "प्रशासनिक विभाग" और विभाग में श्रेणी-I और श्रेणी-II के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कार्य करते हैं।
- (ख) मुख्य निर्वाचन अधिकारी "विभागाध्यक्ष" है और तृतीय श्रेणी के पदों की पूर्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है। मुख्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सक्षम हैं तथा जिलों में यह शक्तियां सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) में निहित है।

- (ग) मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ संविधिक कार्य (Statutory functions) के कार्यान्वयन हेतु एक अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन) पदाविहित है जोकि कार्यालयाध्यक्ष एवं नियन्त्रण अधिकारी है।
- (घ) विभागीय कैंडर का एक पद सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) जोकि राज्य सरकार के अवर सचिव के दर्जे का है, विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी आहरण एवं संवितरण का कार्य करता है तथा यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्तों के लिए नियन्त्रण अधिकारी भी है। शाखा-1 में उक्त अधिकारी की सहायतार्थ एक अनुभाग अधिकारी और सात वरिष्ठ सहायकों के पद हैं।
- (ङ) एक और विभागीय कैंडर का पद निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) भी विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी की सहायतार्थ एक अनुभाग अधिकारी तथा चार वरिष्ठ सहायक शाखा-11 का कार्य देखते हैं।
- (च) एक तकनीकी पद कम्प्युटर प्रोग्रामर(श्रेणी-1) का स्वीकृत है। इस अधिकारी की सहायतार्थ कम्प्युटर सैल में एक कम्प्युटर ऑपरेटर, एक डाटा ऑपरेटर और एक कनिष्ठ सहायक भी हैं। कम्प्युटर सैल में कार्यरत कर्मचारी मुख्यालय स्टाफ तथा जिला मुख्यालय/ उप मण्डलीय स्तर पर कार्यरत स्टाफ को कम्प्युटर प्रशिक्षण आदि का कार्य करते हैं।

(ii) जिला मुख्यालय स्तर

जिलों के उपायुक्त "जिला निर्वाचन अधिकारी" होते हैं और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। उपायुक्त, शिमला, मण्डी, हमीरपुर तथा कांगड़ा लोक सभा निर्वाचनों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हैं। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ एक-एक तहसीलदार(निर्वाचन) कार्यरत हैं। जिला कांगड़ा व मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन) तथा अन्य आठ जिलों में एक-एक नायब तहसीलदार (निर्वाचन) विद्यमान हैं। जिला किन्नौर एवं लाहौल-स्पिति में नायब तहसीलदार (निर्वाचन) नहीं हैं।

(iii) उप मण्डलीय स्तर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी उप मण्डलाधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। राजस्व/ निर्वाचन विभाग के तहसीलदार/ नायब तहसीलदार भी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उप मण्डल स्तर पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो/ लिपिक तथा चपड़ासी रिटर्निंग ऑफिसरों की सहायतार्थ नियुक्त हैं।

2. ऑफिसरों / कर्मचारियों की शक्तियां एवं कार्यकलाप

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पदाभिहित करता है।

उक्त अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है तथा पूर्व-पदेन सचिव(निर्वाचन) के तौर पर कार्य करते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में निर्वाचन विभाग की कोई अलग शाखा नहीं है इसलिए वह प्रशासनिक सचिव एवं विभागाध्यक्ष हैं।

- बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनका निर्वाचन विभाग पर पूर्ण नियन्त्रण है।
- वह जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादनार्थ उनका परिवीक्षण करते हैं। विभाग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए भी वह सक्षम है।
- वह बतौर विभागाध्यक्ष एवं सचिव(निर्वाचन) वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु सक्षम हैं।
- उनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों के निवारण के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी की शक्तियां निहित हैं।
- वह विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवम् अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन)

यह पद हिमाचल प्रशासनिक सेवा कैडर का है तथा उक्त अधिकारी निर्वाचन विभाग के मुख्यालय का कार्यालयाध्यक्ष है। इनके द्वारा निम्न कार्य का निष्पादन किया जाता है :-

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) के साथ सभी विभागीय मामलों में सहायता करना।
- निर्वाचन विभाग की दोनों शाखाओं एवं कम्प्यूटर सैल का पर्यवेक्षण।
- कार्यालयाध्यक्ष स्तर के सभी वित्तीय मामलों का निपटारा।
- विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदोन्नति/ पुष्टिकरण।
- मुख्यालय पर कार्यरत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने हेतु रिपोर्टिंग आफिसर।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

यह अधिकारी (राजपत्रित प्रथम श्रेणी) राज्य के अवर सचिव के स्तर के हैं। वह निर्वाचन विभाग मुख्यालय पर बतौर आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा नियन्त्रण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी विभागीय मामलों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) तथा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता करना।
- बजट, लेखे व भण्डार सम्बन्धी मामलों के कार्यों की देखरेख करना।
- विभाग की अन्य गतिविधियों जैसे विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग, प्रशासन में दक्षता सम्बन्धी बैठक में भाग लेना।
- अन्य विभागीय कार्यों का निरीक्षण/ निष्पादन आदि।

निर्वाचन अधिकारी

विभाग में यह पद भी राजपत्रित प्रथम श्रेणी का है। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी प्रकार के निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाता सूचियों का अद्यतन, कम्प्यूट्रीकरण, मतदाताओं के पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना तथा लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कार्यों की देखरेख करना।

विशेष कार्यकारी अधिकारी (OSD)(SVEEP)

- सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं भागीदारी (SVEEP) योजना के अधीन राष्ट्रीय मतदाता जागरण अभियान, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन एवं उक्त योजना के अन्तर्गत सभी कार्यों की देखरेख हेतु विशेष कार्यकारी अधिकारी(SVEEP) का एक पद सृजित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी-I

यह अधिकारी अनुभाग-I का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य स्थापना, बजट, लेखे व भण्डार सामग्री आदि मामलों का निष्पादन है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सहायकों के कार्य का निरीक्षण इत्यादि।

अनुभाग अधिकारी-II

यह अधिकारी अनुभाग-II का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदाता जागरण अभियान, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं

निर्वाचन से सम्बन्धित शिकायतों आदि के कार्य का निष्पादन है तथा सम्बन्धित सहायकों का कार्य का निरीक्षण आदि।

निजी स्टाफ

निजी स्टाफ में एक पद निजी सचिव तथा एक पद वरिष्ठ आशुलिपिक और एक पद कनिष्ठ आशुलिपिक का सृजित है। यह निजी स्टाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन) अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन) के दिनचर्या के कार्य एवं जो भी सरकारी कार्य उन्हें अधिकारियों द्वारा सौंपा जाए जैसे फाइलों का रखरखाव, गोपनीय रिकार्ड की अभिरक्षा, हिन्दी, अंग्रेजी भाषा में टंकण का कार्य तथा वाहनों आदि का नियन्त्रण का कार्य का निष्पादन करता है।

इसके अतिरिक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम संख्या	श्रेणी	पद नाम	स्वीकृत पद
1.	III	वरिष्ठ सहायक	25
2.	III	निर्वाचन (कानूनगो)	70
3.	III	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	82
4.	III	कम्प्युटर आप्रेटर	2
5.	III	वरिष्ठ आशुलिपिक	1
6.	III	कनिष्ठ आशुलिपिक	1
7.	III	चालक	2
8.	IV	प्रतिलिपि चन्त्र चालक	1
9.	IV	दफतरी	1
10.	IV	चपड़ासी	83
11.	IV	चौकीदार	12
12.	IV	सफाई कर्मचारी	3
कुल योग			283

जिला स्तर के कार्यालय

जिला निर्वाचन अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13कक के अनुसरण में प्रत्येक जिला के उपायुक्त को निर्वाचन कार्य के निर्वहन हेतु "जिला निर्वाचन अधिकारी" पदाभिहित किया गया है और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में जिलों में निर्वाचन सम्पन्न करवाए जाते हैं। चार जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त), शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा तथा मण्डी लोक सभा निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गये हैं। अन्य जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पदाभिहित किए गये हैं।

तहसीलदार (निर्वाचन)

जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ प्रत्येक जिला में एक-एक तहसीलदार (निर्वाचन) नियुक्त किए गये हैं। उक्त तहसीलदारों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा विधान सभा निर्वाचनों के संचालनार्थ उन्हें सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी पदाविहित किया गया है। उक्त अधिकारी सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में निर्वाचन का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन प्रक्रिया, वोटिंग मशीनों के बारे में प्रशिक्षण आदि प्रदान करते हैं। उपमण्डल स्तर के निर्वाचन के कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण भी तहसीलदार (निर्वाचन) ही करते हैं। फील्ड के सभी प्रकार के कार्य जैसे मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदाता फोटो पहचान पत्र की तैयारी के कार्य का निरीक्षण आदि भी वे ही करते हैं।

नायब तहसीलदार (निर्वाचन)

लाहौल स्पिति तथा किन्नौर को छोड़कर जिला निर्वाचन कार्यालय शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चम्बा तथा कुल्लू में एक-एक नायब तहसीलदार तथा कांगड़ा एवं मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन), तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ नियुक्त हैं। उक्त अधिकारी भी मतदान प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उक्त अधिकारी फील्ड में निर्वाचन कार्य की देखरेख भी करते हैं।

अधीक्षक ग्रेड-11

जिला लाहौल-स्पिति, किन्नौर हमीरपुर, धर्मशाला, मण्डी तथा शिमला में लेखा सम्बन्धी कार्यों की देखरेख एवं तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ सौंपे गये कार्यों की देखरेख हेतु छः पद अधीक्षक ग्रेड-11 के पद सृजित किये गये हैं।

वरिष्ठ सहायक

तहसीलदार (निर्वाचन)/ नायब तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ प्रत्येक जिले में एक या दो वरिष्ठ सहायकों के पद स्वीकृत हैं। उक्त कर्मचारी स्थापना, बजट एवं लेखे तथा निर्वाचन संचालनार्थ पत्राचार आदि का कार्य करते हैं।

कनिष्ठ सहायक/ लिपिक

प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में दो या तीन कनिष्ठ सहायक/ लिपिक के पद स्वीकृत हैं। उक्त कनिष्ठ सहायक/ लिपिक, वरिष्ठ सहायक की सहायता करते हैं तथा हिन्दी/ अंग्रेजी का टंकण कार्य, बिलों की तैयारी, डाक आवती/ प्रेषण, भण्डार सामग्री का रखरखाव इत्यादि का कार्य सम्भालते हैं।

चपड़ासी / चौकीदार

जिला निर्वाचन कार्यालयों में 2-3 चपड़ासी तथा एक-एक चौकीदार के पद स्वीकृत है।

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय

रिटर्निंग ऑफिसर / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

निर्वाचनों के संचालनार्थ उप मण्डलाधिकारी(नागरिक), बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं तथा मतदाता सूचियों की तैयारी हेतु वह बतौर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाविहित किए गये हैं। उप मण्डल स्तर पर उक्त अधिकारी निर्वाचन शाखा के प्रभारी भी होते हैं।

निर्वाचन कानूनगो

प्रत्येक उप मण्डल स्तर पर प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो का पद स्वीकृत है। निर्वाचन कानूनगो रिटर्निंग ऑफिसर / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायतार्थ नियुक्त हैं तथा फील्ड में निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी और निरन्तर अद्यतन, मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना आदि का कार्य करवाते हैं।

कनिष्ठ सहायक / लिपिक

एक पद कनिष्ठ सहायक / लिपिक का हर उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत है। उक्त कर्मी हिन्दी / अंग्रेजी का टंकण, डाक आवती / प्रेषण और निर्वाचन भण्डार के रख-रखाव का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन कानूनगो के साथ हर मामले में सहायता करते हैं।

चपड़ासी

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए एक-एक पद चपड़ासी का स्वीकृत है जोकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का कार्य सम्भालते हैं।

3. पर्यवेक्षण के माध्यम तथा उत्तरदायित्व सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु अपनाई गई कार्य विधि

निर्वाचन विभाग में कार्यालय के कार्य की सुचारूता के अनुरूप सभी अधिकारियों / व्यवहत्कर्ता सहायकों तथा अन्य कर्मियों को कार्य का आबंटन किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ उनका उत्तरदायित्व निर्धारित है। जहां तक कार्य के पर्यवेक्षण का प्रश्न है सभी व्यवहत्कर्ता अपने-अपने

मामले में सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी को तथा अनुभाग अधिकारी आगे शाखा प्रभारी को फाईलें प्रस्तुत करते हैं। शाखा प्रभारी फाईलों को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोकि कार्यालयाध्यक्ष हैं तथा विशेष सचिव (निर्वाचन) भी हैं, उनके स्तर के मामलों के निपटान हेतु प्रस्तुत करते हैं। जो मामले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर बतौर विभागाध्यक्ष निपटाए जाने हों, ऐसे मामले अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये जाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रभारी मन्त्री को मामले प्रस्तुत करते हैं क्योंकि निर्वाचन विभाग एक तरह से Single File System वाला विभाग है। अतः सभी मामलों पर तत्परता से निर्णय ले लिए जाते हैं।

4. कार्यों के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मानक

निर्वाचन विभाग में हर ऑफिसर के कार्य निष्पादन हेतु संविधिक प्रावधान (Statutory Provisions) हैं जिसके अन्तर्गत रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों का संचालन निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाता है।

निर्वाचन विभाग के पास विभागीय कर्मियों की नियुक्ति / पदोन्नति के नियम हैं। जहां तक विभाग की कार्य प्रणाली का प्रश्न है, इस विभाग का सारा कार्य भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियन्त्रण एवं निर्देशन में होता है जिसके लिए निम्न केन्द्रीय अधिनियम, नियम, आदेश / अनुदेश हैं :-

- 1 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952.
- 2 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974.
- 3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा 1951
- 4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960.
- 5 निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961.
- 6 निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन अधिनियम, 2002.
- 7 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 8 रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 9 राज्य सभा निर्वाचन से सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 10 पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 11 संकलित अनुदेशों की पुस्तिका।
- 12 निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968.
- 13 निर्वाचन व्यय-अनुवीक्षण पुस्तिका-2013.

5. विभाग के पास अथवा इसके नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों के वर्गीकरण की विवरणी।

- (क) वित्तीय बजट आबंटन से सम्बन्धित पुस्तिका
- (ख) विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- (ग) गत लोक सभा / विधान सभा निर्वाचनों से सम्बन्धित रिपोर्ट
- (घ) पावती / प्रेषण रजिस्टर
- (ड.) हाजिरी रजिस्टर

- (च) आकस्मिक अवकाश रजिस्टर
- (छ) बजट नस्तियां
- (ज) स्थापना से सम्बन्धित नस्तियां
- (झ) पुनारवलोकन बैठकों की नस्तियां
- (ञ) संसदीय/ विधान सभा प्रश्नों की नस्तियां
- (ट) अन्य नियमित कार्यों से सम्बन्धित नस्तियां आदि।

6. विभाग से सम्बन्धित नीतियों के प्रारूपीकरण अथवा तत्सम्बन्धी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों के परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के लिए किसी विद्यमान व्यवस्था का विवरण।

विभागीय नीतियों (Policies) के कार्यान्वयन हेतु जैसे मतदान केन्द्रों की स्थापना, फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी, आदर्श आचार संहिता की अनुपालना, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदि के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता है।

7. ऐसे बोर्ड, परिषद, समितियां अथवा अन्य निकाए जोकि दो अथवा अधिक व्यक्तियों सहित विभाग के भाग के रूप में अथवा इसके परामर्श के उद्देश्य से गठित हो तथा क्या ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकाओं की बैठके जनता के लिए सार्वजनिक है अथवा क्या ऐसी बैठकों की कार्यवाही जनता की पहुंच में है।

विभाग द्वारा कोई बोर्ड, समितियां गठित नहीं की गई हैं।

8. विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

विभिन्न श्रेणियों के निम्न विवरणानुसार राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा उप मण्डलीय स्तर पर पद स्वीकृत हैं।

क्र.सं.	पदों का विवरण	पदों की संख्या
श्रेणी-I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रधान सचिव (निर्वाचन)	1
2.	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन)	1
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतुल्य)	1
4.	निर्वाचन अधिकारी	1
5.	अनुभाग अधिकारी	2
6.	निजी सचिव	1
7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
8.	तहसीलदार (निर्वाचन)	12

श्रेणी-II		
9.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	13
10.	अधीक्षक, ग्रेड-II	6
श्रेणी-III		
11.	वरिष्ठ सहायक	25
12.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
13.	कम्प्यूटर ऑप्रेटर	2
14.	निर्वाचन कानूनगो	70
15.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
16.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	82
17.	चालक	2
श्रेणी-IV		
18.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1
19.	दफतरी	1
20.	चपड़ासी	83
21.	चौकीदार	12
22.	स्वीपर	3
योग :-		322

9. विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतनमान :-

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान
श्रेणी-I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रधान सचिव (निर्वाचन)	67000-79000+10000/- ग्रेड पे
2.	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन)	37400-67000+8700/- ग्रेड पे +2500/- सचिवालय पे
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतुल्य)	15600-39100+6600/- ग्रेड पे +2500/- सचिवालय पे
4.	निर्वाचन अधिकारी	10300-34800+5400/- ग्रेड पे +2000/- सचिवालय पे
5.	अनुभाग अधिकारी	15600-39100+5400/- ग्रेड पे +2000/- सचिवालय पे
6.	निजी सचिव	15600-39100+5400/- ग्रेड पे +2000/- सचिवालय पे

7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	10300-34800+5000/- ग्रेड पे
8.	तहसीलदार (निर्वाचन)	10300-34800+5000/- ग्रेड पे
श्रेणी-II		
9.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	10300-34800+4200/- ग्रेड पे
10.	अधीक्षक, ग्रेड-II	10300-34800+4800/- ग्रेड पे
श्रेणी-III		
11.	वरिष्ठ सहायक	10300-34800+4400/- ग्रेड पे +900/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर)
12.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	10300-34800+4400/- ग्रेड पे +900/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर)
13.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	10300-34800+3200/- ग्रेड पे +300/- सचिवालय पे
14.	निर्वाचन कानूनगो	10300-34800+4200/- ग्रेड पे +100/- विशेष भत्ता
15.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	10300-34800+3600/- ग्रेड पे +500/- सचिवालय पे
16.	(i) कनिष्ठ सहायक (लिपिकों के स्वीकृत काडर का 50 प्रतिशत) (ii) लिपिक (स्वीकृत काडर का शेष 50 प्रतिशत)	10300-34800+3600/- ग्रेड पे +500/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) 10300-34800+3200/- ग्रेड पे +400/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर)
17.	चालक	5910-20200+2400/- ग्रेड पे +1400/- सचिवालय पे
श्रेणी-IV		
18.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	4900-10680+1650/- ग्रेड पे +240/- सचिवालय पे
19.	दफतरी	4900-10680+1650/- ग्रेड पे +320/- सचिवालय पे
20.	चपड़ासी	4900-10680+1300/- ग्रेड पे +240/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर)
21.	चौकीदार	4900-10680+1300/- ग्रेड पे +560/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर)
22.	स्वीपर	4900-10680+1300/- ग्रेड पे

10. समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा वितरण की रिपोर्ट दर्शाते हुए प्रत्येक विभाग की एजेंसियों का बजट आबंटन।

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है तथा विभिन्न प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करता है। निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित योजनाएं, स्कीमें भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के अनुरूप कार्यान्वयन की जाती हैं। निधि प्रणाली तथा बजट पद्धति निम्न प्रकार से है :-

वित्त वर्ष 2012-2013 के लिए अनुपूरक अनुदान सहित स्वीकृत बजट, वित्त वर्ष हेतु किए गए पुनर्विनियोजन सहित कुल बजट प्रावधान तथा 31 मार्च, 2013 तक के अनुमानित व्ययों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

मांग संख्या	वित्त वर्ष हेतु स्वीकृत बजट (रूपये)	पुनर्विनियोजन/सहमति सहित कुल प्रावधान (रूपये)	वित्त वर्ष का वास्तविक आंकड़ों के अनुरूप अनुमानित व्यय (रूपये)
17-निर्वाचन	9,91,65,000	27,30,73,000	27,28,28,200
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,30,000	10,60,000	10,57,000
31-जनजातीय विकास	63,16,000	1,36,85,000	1,35,59,900
कुल योग	10,58,11,000	28,78,18,000	28,74,45,100

- वित्त वर्ष के दौरान मुख्यालय सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को समय-समय पर, उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध बजट के दृष्टिगत अनुपातिक दर से आबंटन किया गया तथा मासिक आय/ व्ययों के संकलित विवरण भली-भान्ति तथा नियमानुसार तैयार किए गए।
- इसी वित्त वर्ष के दौरान आगामी वित्त वर्ष 2013-2014 हेतु निम्नलिखित बजट अनुमान वित्त विभाग/जनजातीय विकास विभाग को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये:-

मांग संख्या	वित्त वर्ष 2013-2014 हेतु अनुमानित बजट प्रावधान
17-निर्वाचन	14,66,40,000
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	11,00,000
31-जनजातीय विकास	1,04,24,000
कुल योग	15,81,64,000

- उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार को निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए कुल 7,34,24,000/- रूपये के बजट अनुमान भेजे गये।
- वित्त वर्ष 2012-2013 के दौरान भारत सरकार से निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की पूर्ति हेतु अभी तक कुल 9,00,00,000/- रूपये की निधि बुक ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध हुई तथा इसे विभागीय आय मुख्य लेखा शीर्ष "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 02-निर्वाचन 800-अन्य प्राप्तियां 01-भारत सरकार के भाग की प्रतिपूर्ति से आय" के अन्तर्गत जमा करवाने हेतु महालेखाकार कार्यालय, शिमला-171003 से अनुरोध किया गया।
- वित्त वर्ष के दौरान वित्त एवं जनजातीय विकास विभाग को विभाग से सम्बन्धित सभी मांगों के अधीन बजट प्रावधान एवं व्ययों पर नियन्त्रण के उद्देश्य से समय-समय पर आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध करवाई गई।

- ऊपर वर्णित के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2012-2013 के आय/व्यय आंकड़ों का समय-समय पर लेखा कार्यालयों से मिलान किया गया तथा बजट एवं व्ययों सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश, महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, मान्य लोक लेखा समितियां, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, भारत सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग आदि सभी सम्बन्धित संस्थानों को उपलब्ध करवाई गई तथा नेमी कार्यों के सम्पादन के साथ-साथ अपने विभागीय अधिकारियों द्वारा अपेक्षित अन्य कार्यों का भी सम्पादन किया गया।

गैर जनजातीय क्षेत्र के लिए
मांग संख्या 17—“निर्वाचन”

लेखा शीर्ष : “2015-निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत

उप शीर्ष : 102-निर्वाचन अधिकारी

01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग-1 व II
103-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-01-विधान सभा
103-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-02-लोक सभा
104-01-लोक सभा/ विधान सभा के एक साथ होने वाले निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी प्रभार
105-लोक सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार-01-लोक सभा
106-विधान सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार-01-विधान सभा
108-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना

जनजातीय क्षेत्र के लिए
मांग संख्या 31—“जनजातीय विकास”

लेखा शीर्ष : “2015-निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत

उप शीर्ष : 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना

01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग-1 व II
02-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-विधान सभा
03-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-लोक सभा
04-विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार

05—लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार
08—मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना
09—लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार

11. आबंटित धनराशि सहित अनुदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है। इस विभाग द्वारा कोई अनुदान धनराशि का आबंटन नहीं किया जाता है।

12. विभाग द्वारा प्रदान की गई छूट, परमिट अथवा प्राधिकार पाने वालों का विवरण :

विभाग के किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई परमिट और प्राधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं।

13. विभाग के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण :

इस विभाग के पास 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत मतदाता सूची वैबसाईट "<http://ceohimachal.gov.in>" और "<http://ceohimachal.nic.in>" जनसाधारण की सूचनार्थ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में नागरिकों को अपना नाम दर्ज करवाने हेतु ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।

14. नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :

प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी लाने हेतु तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावशाली कार्यन्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा हि.प्र. सूचना का अधिकार नियम 2006 बनाए है। नागरिक कोई भी सूचना प्राप्त करने हेतु 10/- के निर्धारित शुल्क के साथ सादा आवेदन कर सकता है।

15. जनसूचना अधिकारियों के नाम, पद तथा अन्य विवरण :

राज्य मुख्यालय स्तर पर		
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	जन सूचना अधिकारी	
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	सहायक जन सूचना अधिकारी	
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	अपील प्राधिकारी	
जिला मुख्यालय स्तर पर 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए		
अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त (इनमें से जो भी जिला निर्वाचन कार्यालय का प्रभारी हो) उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।	जन सूचना अधिकारी	
(क) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर (उप मण्डल अधिकारी/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।	सहायक जन सूचना अधिकारी	
(ख) तहसीलदार (निर्वाचन)/नायब तहसीलदार (निर्वाचन), उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।		
जनजातीय जिलों के लिए		
1.	जिला किन्नौर के लिए :	
	उपायुक्त किन्नौर के सहायक आयुक्त	जन सूचना अधिकारी
	तहसीलदार (निर्वाचन), किन्नौर	सहायक जन सूचना अधिकारी
2.	जिला लाहौल-स्पिति के लिए :	
(क)	लाहौल क्षेत्र के लिए :	
	उप मण्डल अधिकारी(ना.), केलंग	जन सूचना अधिकारी
	तहसीलदार (निर्वाचन), केलंग	सहायक जन सूचना अधिकारी
(ख)	काजा क्षेत्र के लिए :	
	अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, काजा (स्थिति के अनुसार)	जन सूचना अधिकारी
	निर्वाचन कानूनगो, काजा	सहायक जन सूचना अधिकारी
	जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।	अपील प्राधिकारी

16. विभाग की सामान्य सूचना :

वर्ष 2012-13 के दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा अध्याय-II में वर्णित मुख्य कार्यों को सम्पादित करवाया गया है।

अध्याय—II

विभाग के संविधिक(स्टैचूटरी) कार्य

(क) मतदान केन्द्रों की स्थापना:

- लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2002 के अन्तर्गत परिभाषित प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को समुचित संख्या में विभाजित करने के उपरान्त मतदान केन्द्रों की स्थापना, भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व सहमति व मान्य संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों एवं राजनैतिक दलों से पूर्व चर्चा के पश्चात् की गई।
- इन्हीं स्थापित मतदान केन्द्रों पर मतदाता लोक सभा एवं विधान सभा के विभिन्न निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के लिए मतदान करते हैं।
- मतदाता सूचियां मतदान केन्द्रवार तैयार की जाती हैं। मतदान केन्द्रों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव मतदाता सूचियों पर भी पड़ता है, अतः ये मतदान केन्द्र साधारणतया स्थाई तौर पर स्थापित किये जाते हैं तथा इनमें परिवर्तन किन्ही अपरिहार्य कारणों से ही आयोग की पूर्व अनुमति से किया जाता है।
- निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश का सदैव यह प्रयास रहा है कि समय-समय पर जनसाधारण को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जायें। इस आशय से कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, बिखरी जनसंख्या एवं जंगली क्षेत्र होने के बावजूद भी प्रत्येक मतदाता को वोट डालने के लिए कम से कम दूरी तय करनी पड़े, मतदाता सूचियों की तैयारी से पूर्व समय-समय पर जनसाधारण अथवा राजनैतिक दलों से प्राप्त प्रतिवेदनों/सुझावों के अनुसार मतदान केन्द्रों के भवनों को बदला जाता है और यदि आवश्यक समझा जाए तो नए मतदान केन्द्र स्थापित कर इनमें वृद्धि की जाती है।
- विधान सभा निर्वाचन 2012 के दौरान कुल 115 मतदान केन्द्रों के भवनों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन उपरान्त मतदान केन्द्रों के विद्यमान भवनों की स्थिति ठीक न होने के कारण स्थिति में परिवर्तन किया गया, जिनकी प्रस्तावनाएं जिला निर्वाचन कार्यालयों से राजनैतिक दलों के साथ विचार विमर्श करके प्राप्त हुई थी।
- इस समय प्रदेश में 7252 मतदान केन्द्र स्थापित हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों की पालना में जिला सोलन के 54-कसौली (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के 55-सनावर मतदान केन्द्र क्षेत्र में कुष्ठ रोग से ग्रस्त मतदाताओं की सुविधा हेतु निर्वाचन के समय एक सहायक मतदान केन्द्र भी स्थापित किया गया।

(ख) (1) फोटो मतदाता सूचियों की तैयारी :

- विभिन्न निर्वाचनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों एवम् निर्धारित कार्यक्रमानुसार करवाई जाती है। मतदाता सूचियों की तैयारी चार विधियों द्वारा सम्पन्न करवाई जाती है:- (1) गहन पुनरीक्षण, (2) संक्षिप्त पुनरीक्षण, (3) आंशिक गहन एवम् संक्षिप्त पुनरीक्षण, (4) विशेष पुनरीक्षण । सामान्यतः प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण करवाया जाता है । गहन पुनरीक्षण वाले वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण ही करवाया जाता है । उक्त मतदाता सूचियां प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी को मतदाताओं की 18 वर्ष की आयु अहर्ता को आधार मानकर तैयार की जाती हैं।
- फोटोयुक्त मतदाता सूचियां मतदान केन्द्र वार तैयार की जाती हैं । मतदाताओं का डाटाबेस कम्प्युटरीकृत है तथा स्थाई किस्म का है । गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रगणकों को घर-घर जाकर सत्यापन हेतु प्रारूप मतदाता सूचियां प्रदाय की जाती है । इनमें मृतक व अपात्र मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं जबकि पात्र नागरिकों के नाम सम्मिलित किये जाते हैं । संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ये सूचियां मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायतों में निर्धारित अवधि तक जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण हेतु रखी जाती हैं ।
- सामान्य विधान सभा निर्वाचनों के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मास जून, 2012 में 1.1.2012 की अहर्ता तिथि के आधार पर प्रदेश के समस्त 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवरण	समययावधि
1.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में) ।	01 जून, 2012
2.	दावे/आक्षेप दाखिल करने की अवधि (उपरोक्त सभी स्थानों पर) ।	1 जून, 2012 से 18 जुलाई, 2012

3.	फोटोयुक्त मतदाता सूची का सम्बन्धित भाग/अनुभाग, ग्राम सभा/स्थानीय निकायों की बैठकों में पढ़ा/सत्यापन किया जाना ।	3 जून, 2012 व 10 जून, 2012
4.	विशेष अभियान की तारीखें (सभी मतदान केन्द्रों पर) राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करना ।	4 जून, 2012 व 9 जून, 2012
5.	दावे/आक्षेपों का निपटारा ।	28 जुलाई, 2012
6.	डाटाबेस अद्यतन, फोटोग्राफ मर्जिंग, कन्ट्रोल टेबल अद्यतन तथा अनुपूरक सूचियों की तैयारी एवम् मुद्रण	6 अगस्त, 2012
7.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन ।	9 अगस्त, 2012

- प्रथम जनवरी, 2012 की अर्हक तिथि के आधार पर दिनांक 01-06-2012 को प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूची में पुरुष 22,85,232 तथा 21,65,250 महिला मतदाता अर्थात् कुल 44,50,482 मतदाता थे । उपरोक्त पुनरीक्षण के दौरान 95,275 नए मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज किये गये तथा 30,153 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये गये । अतः प्रथम जनवरी, 2012 की अर्हक तारीख के आधार पर दिनांक 9 अगस्त, 2012 को अन्तिम रूप से प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में 23,14,235 पुरुष तथा 22,01,369 महिला मतदाता अर्थात् कुल 45,15,604 मतदाता हो गए हैं । तत्पश्चात् निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया (Continuous Updation Process) के दौरान प्राप्त दावे तथा आक्षेपों का निपटारा सामान्य विधान सभा निर्वाचन-2012 हेतु नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि (दिनांक 17-10-2012) तक किया गया । इस प्रक्रिया के दौरान कुल 20,649 नये मतदाता फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में सम्मिलित किये गये तथा 2540 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये गये । सामान्य विधान सभा निर्वाचन-2012 हेतु राज्य के 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो मतदाता सूचियों में मतदाताओं का डाटा परिशिष्ट 'क' पर संलग्नित है।
- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1.1.2013 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रदेश के 65 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (02-भरमौर (अ.ज.जा.), 21-लाहौल स्पिति (अ.ज.जा.) व 68-किन्नौर (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्रों के अतिरिक्त) फोटो मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवरण	समययावधि
1.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में) ।	16 फरवरी, 2013
2.	दावे/आक्षेप दाखिल करने की अवधि (उपरोक्त सभी स्थानों पर) ।	16 फरवरी, 2013 से 04 मार्च, 2013 तक
3.	फोटोयुक्त मतदाता सूची का सम्बन्धित भाग/अनुभाग, ग्राम सभा/स्थानीय निकायों की बैठकों में पढ़ा/सत्यापन किया जाना ।	17 फरवरी, 2013
4.	विशेष अभियान की तारीखें (सभी मतदान केन्द्रों पर) राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करना ।	24 फरवरी, 2013
5.	दावे/आक्षेपों का निपटारा ।	14 मार्च, 2013
6.	डाटाबेस अद्यतन, फोटोग्राफ मर्जिंग, कन्ट्रोल टेबल अद्यतन तथा अनुपूरक सूचियों की तैयारी एवम् मुद्रण	1 अप्रैल, 2013 तक
7.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन ।	5 अप्रैल, 2013

- शेष तीन जनजातीय विधान सभा क्षेत्रों यथा 02-भरमौर (अ.ज.जा.),21-लाहौल स्पिति(अ.ज.जा.) व 68-किन्नौर (अ.ज.जा.) में मास फरवरी, 2013 में भारी बर्फबारी के फलस्वरूप फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 20 मार्च, 2013 को किया गया । प्रथम जनवरी, 2013 की अर्हक तिथि के आधार पर प्रदेश के समस्त 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूची में पुरुष 23,23,587 तथा 22,12,761 महिला मतदाता अर्थात् कुल 45,36,348 मतदाता थे ।
- आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी विभागीय बैवसाईट पर उपलब्ध करवाई गई ।
- फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2012 व विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2013 के बारे में जनसाधारण को जानकारी प्रदाय करने एवम् व्यापक प्रचार के लिए पोस्टर, प्रेस नोट और विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किये गये । इसके साथ-साथ सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों(उपायुक्तों), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ए.डी.एम./ एस.डी.एम.) द्वारा भी न्यूज आईटम और प्रेस नोट जारी करके

फील्ड में व्यापक प्रचार किया ताकि पात्र व्यक्तियों के नामों को मतदाता सूचियों में सम्मिलित किया जा सके और मृत तथा स्थान परिवर्तित मतदाताओं के नामों को मतदाता सूचियों से हटाया जा सके ।

(2) सेवा अर्हता मतदाता:

- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2003 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष मतदाता सूचियों के अन्तिम भाग के 2 अनुपूरक तैयार किये जाते हैं। इस वर्ष 1 जनवरी, 2012 से 30 जून, 2012 तक प्राप्त आवेदनों पर 31 जुलाई, 2012 को दूसरा अनुपूरक मुद्रित किया गया जिसका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया गया है।

(ग) सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (SVEEP) योजना के तहत प्रचार :

(1) विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2012 के दृष्टिगत प्रचार :

प्रथम जनवरी, 2012 की अर्हता तिथि पर आधारित मानते हुए वर्ष 2012 में फोटो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को जागरूक करने हेतु हर वर्ष की भान्ति वर्ष 2012 में एक मतदाता जागरण अभियान चलाया गया जिसके तहत निम्न कार्य किये गये :-

- बूथ लेवल अधिकारियों के विवरण यथा, नाम, दूरभाष नम्बर इत्यादि की जानकारी समस्त आम जनता एवं मतदाताओं तक पहुंचाने हेतु एक अभियान के अन्तर्गत "अपने बूथ लेवल अधिकारी को जाने" एवं "Know your BLO" शीर्षक से विज्ञापन तैयार कर दिनांक 27.05.2012 को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित किया गया। विभागीय टोल फ्री नम्बर "1950" का भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्रचार किया गया।
- श्री विक्की चौहान, *Cultural Icon* के सन्देश को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2012 के दौरान पात्र व्यक्तियों के शतप्रतिशत पंजीकरण के उद्देश्य से आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 9 जून, 2012 से 17 जून, 2012 तक दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण किया गया।
- मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया बारे आम जनता और मतदाताओं को जागरूक करने के सम्बन्ध में एक अभियान के तहत दिनांक 31 मई, 2012 से 18 जून, 2012 तक दूरदर्शन केन्द्र, शिमला व आकाशवाणी केन्द्र, शिमला से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का प्रसारण किया गया।
- दिनांक 1 जून, 2012 से 18 जून, 2012 तक 95.0 BIG FM, Reliance Broadcast Network Ltd. व OYE 104.8 FM, TV Today Network Ltd. के माध्यम से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी जनहितैषी Audio Jingle का प्रसारण किया गया।

- 40,000 पोस्टर, जिसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2012 से सम्बन्धित विस्तृत कार्यक्रम था, मुद्रित कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतों, महिला मण्डलों, युवक मण्डलों, स्वयं सहायता समूहों और बूथ लेवल अधिकारियों को वितरित किया गया।
- 40,000 पैम्पलैट, जिसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2012 से सम्बन्धी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश का संदेश छपा था, मुद्रित कर जिला निर्वाचन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से आम जनता को वितरित किया गया।
- 20,000 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कैलेंडर, जिसमें टोल फ्री नंबर 1950, निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और चुनाव से संबंधित लोक शिकायत निवारण वेबसाइट की जानकारी दी गई थी, मुद्रित कर जिला निर्वाचन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से आम जनता को वितरित किया गया।
- भारत के उन पात्र नागरिकों जो कि हिमाचल प्रदेश के साधारण निवासी हों, की सुविधा हेतु **Multipurpose Hall of Gaiety Cultural Complex, The Mall, Shimla**, में **"Voter Facilitation Centre"** स्थापित किया गया था जिसका औपचारिक उद्घाटन राज्य निर्वाचन आयुक्त, हिमाचल प्रदेश श्री देवस्वरूप जी के करकमलों द्वारा दिनांक 13 जून, 2012 को किया गया था।

(2) विधान सभा के साधारण निर्वाचन-2012 के दृष्टिगत प्रचार

- सर्व श्री करनैल राणा, श्री विक्की चौहान व श्रीमती निर्मल शर्मा, *Cultural Icons* के सन्देश को पात्र व्यक्तियों के शतप्रतिशत पंजीकरण व आम जनता को नैतिक मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 से 3 नवम्बर, 2012 तक (1) Doordarshan, Shimla, (2) City Channel, (3) Channel-9, (4) Day and Night News, Kansan News Pvt. Ltd. के माध्यम से प्रसारण किया गया।
- मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया बारे आम जनता और मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 से 3 नवम्बर, 2012 तक आकाशवाणी केन्द्र, शिमला से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी सात (7) जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का प्रसारण किया गया।
- दिनांक 6 अक्टूबर, 2012 से 3 नवम्बर, 2012 तक 95.0 BIG FM, Reliance Broadcast Network Ltd. व OYE 104.8 FM, TV Today Network Ltd., के माध्यम से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी 7 जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का प्रसारण किया गया।
- दिनांक 1 नवम्बर, 2012 से 4 नवम्बर, 2012 तक ही All India Radio, 95.0 BIG FM, Reliance Broadcast Network Ltd. व OYE 104.8 FM, TV Today Network Ltd., के माध्यम से चुनाव सम्बन्धी 2 जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का प्रसारण किया गया।
- बूथ लेवल अधिकारियों के विवरण यथा, नाम, पदनाम, पता, दूरभाष नम्बर की जानकारी आम जनता एवं मतदाताओं तक पहुंचाने हेतु एक अभियान के अन्तर्गत **"Know your BLO"** शीर्षक से सात लाख **Stickers** नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से मुद्रित करवाये गये और जन-साधारण की जानकारी हेतु पूरे राज्य में प्रत्येक घर में चस्पां किये गये।

- “हर वोट मान्य रखता है, आज ही पंजीकृत होईए” व “Every Vote Counts, Registered today” नामक शीर्षक विज्ञापन तैयार कर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 23 सितम्बर, 2012, 30 सितम्बर, 2012 व 3 नवम्बर, 2012 को विज्ञापित किया गया।

(3) तृतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2013 के दृष्टिगत प्रचार

- हर वर्ष की भांति 25 जनवरी, 2013 को भी आम जनता में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति उत्साह जगाने, मताधिकार के महत्व, मतदाता के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में मतदाताओं विशेषतय युवा मतदाताओं की भूमिका से भी अवगत करवाने के उद्देश्य से राज्य, जिला तथा मतदान केन्द्र स्तर पर तृतीय “राष्ट्रीय मतदाता दिवस” समारोह का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग के निर्देशानुसार नव पंजीकृत मतदाताओं को उनके सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर आयोग के द्वारा निर्धारित बैज (Badge) प्रदान करके सम्मानित किया गया।
- उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर एवं जिला शिमला का जिला स्तरीय समारोह पूर्व की भांति ही संयुक्त रूप से मल्टिपर्पस हॉल, गेयटी थियेटर कॉम्प्लेक्स, शिमला में मनाया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शर्मा, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय समारोह के मुख्य अतिथि थे। राज्य स्तरीय समारोह में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ज्ञान-विज्ञान समिति के सांस्कृतिक दलों द्वारा “राष्ट्रीय मतदाता दिवस” के उद्देश्य पर केन्द्रित पूर्व की भांति एक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। Cultural Icons श्री करनैल राणा, श्री विक्की चौहान, श्रीमती निर्मल शर्मा ने भी सांस्कृतिक गीतों के माध्यम से नव पंजीकृत मतदाताओं को जागरूक किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने Cultural Icons श्री करनैल राणा, श्री विक्की चौहान, श्रीमती निर्मल शर्मा व कुमारी शालिनी शर्मा को शॉल, टोपी और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया।

(घ) मतदाता फोटो पहचान पत्र:

- भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुरूप राज्य के शत-प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने एवं मतदाता सूची में 100% फोटो व्याप्ति व मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति का लक्ष्य 01.01.2012 अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 05-01-2012 व 20-01-2012 को अन्तिम रूप में प्रकाशित मतदाता सूची में प्रदेश के समस्त 68 सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कर लिया गया।

- दिनांक 01.04.2012 से 31.05.2012 तक नए पंजीकृत मतदाताओं के 6,918 तथा 2,956 डुप्लीकेट, कुल 9,874 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं। विधान सभा क्षेत्र बार व जिला बार तैयार किए गए नए व डुप्लीकेट पहचान पत्रों का विवरण अनुबन्ध "ग" पर दिया गया है।
- मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण-2012, दिनांक 01.06.2012 से 31.08.2012 तक की अवधि के दौरान 95,275 नए पंजीकृत मतदाताओं को तथा 14,107 डुप्लीकेट, कुल 1,09,382 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं। विधान सभा क्षेत्र बार व जिला बार तैयार किए गए नए व डुप्लीकेट पहचान पत्रों का विवरण अनुबन्ध "घ" पर दिया गया है।
- दिनांक 01.09.2012 से 31.10.2012 तक नए पंजीकृत मतदाताओं के 20,650 तथा 5,151 डुप्लीकेट, कुल 25,801 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं। विधान सभा क्षेत्र बार व जिला बार तैयार किए गए नए व डुप्लीकेट पहचान पत्रों का विवरण अनुबन्ध "ड." पर दिया गया है।
- तदोपरान्त दिनांक 01.11.2012 से 16.02.2013 (मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन) तक नए पंजीकृत मतदाताओं के 2674 तथा 1721 डुप्लीकेट, कुल 4395 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं। विधान सभा क्षेत्र बार व जिला बार तैयार किए गए नए व डुप्लीकेट पहचान पत्रों का विवरण अनुबन्ध "च" पर दिया गया है।

(ड.) (1) राष्ट्रपति निर्वाचन:

भारत के संविधान में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति कें पदों का प्रावधान है (अनुच्छेद 52 व 63), जिनके निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण में करवाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 324 में निहित है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उक्त निर्वाचक मण्डल (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों पर आधारित होता है। इसी प्रकार उप-राष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिये निर्वाचक मण्डल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनित सदस्य सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रपति निर्वाचन में लोक सभा एवं राज्य सभा के महासचिव चक्रानुक्रम (रोटेशन) में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं तथा लोक सभा/ राज्य सभा के अतिरिक्त/ संयुक्त सचिव एवं समस्त राज्य विधान सभाओं के सचिव, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं। संसद एवं राज्य विधान सभाओं के परिसरों में मतदान के लिये स्थान निर्धारित किया जाता है। उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोक सभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त/संयुक्त सचिव सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और संसद भवन परिसर में ही मतदान के लिए स्थान नियत किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 702 एवं हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 51 निर्धारित है। राष्ट्रपति/

उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में करवाये जाते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करवाये जाते हैं।

भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल की पदावधि का अवसान 24 जुलाई, 2012 को हो गया था। राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए राष्ट्रपतीय/ उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उप धारा (3) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया :-

(क)	निर्वाचन के आह्वान की अधिसूचना	16 जून, 2012
(ख)	नाम निर्देशन की अन्तिम तारीख	30 जून, 2012
(ग)	नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख	2 जुलाई, 2012
(घ)	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	4 जुलाई, 2012
(ङ.)	मतदान की तारीख	19 जुलाई, 2012

उपरोक्त निर्वाचन के संचालनार्थ महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली को राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2012 के लिए रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किए गए तथा हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन हेतु श्री गोवर्धन सिंह, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया। इस निर्वाचनार्थ विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन सम्बन्धी सभी कार्यों का निर्वहन किया।

इस निर्वाचन में दो प्रत्याशी श्री प्रणब मुखर्जी व श्री पुर्णो अगितोक संगमा मैदान में थे। मतपत्रों की गिनती 22 जुलाई, 2012 को 11 बजे रिटर्निंग आफिसर के कक्ष संख्या 63 संसद भवन, नई दिल्ली में आरम्भ की गई एवं श्री प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया।

(2) उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन-2012

मो0 हामिद अंसारी भारत के उप राष्ट्रपति की अवधि 10 अगस्त, 2012 को समाप्त होने के कारण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय/ उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन उप राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हेतु निम्नवर्णित कार्यक्रम जारी किया गया :-

(क)	निर्वाचन के आह्वान की अधिसूचना	6 जुलाई, 2012
(ख)	नाम निर्देशन की अन्तिम तारीख	20 जुलाई, 2012
(ग)	नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख	21 जुलाई, 2012
(घ)	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	23 जुलाई, 2012
(ङ.)	मतदान की तारीख	7 अगस्त, 2012

उपरोक्त निर्वाचन के संचानार्थ महासचिव, राज्य सभा, संसद भवन, नई दिल्ली को उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2012 के लिए रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किए गए। मतदान का स्थान संसद भवन, नई दिल्ली के प्रथम तल के कमरा न0 63 में नियत किया गया तथा मतदान 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक विनिर्दिष्ट किया गया। इस निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (दिल्ली), श्री जसवंत सिंह (राजस्थान) थे। इस निर्वाचन के मतपत्रों की गणना 7 अगस्त, 2012 (मंगलवार) को सांय 6 बजे संसद भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई तथा श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (दिल्ली), को भारत के उप राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया।

(च) राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन :

हिमाचल प्रदेश को राज्य सभा में कुल तीन सीटें आबंटित हैं। राज्य सभा संसद का स्थाई सदन होने तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होने के कारण प्रत्येक 2 वर्षीय अवधि में कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात् एक सदस्य रिटायर होता है जिसकी रिक्ति की पूर्ति हेतु निर्वाचन करवाये जाते हैं।

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि यह विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सचिव, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और विधान सभा सदस्यों द्वारा मतदान के लिए स्थान भी विधान सभा परिसर में ही निर्धारित किया जाता है।

वर्तमान में निम्नलिखित सांसद हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं:-

1.	श्री शान्ता कुमार (भारतीय जनता पार्टी)	19-3-2008 से
2.	श्रीमती बिमला (भारतीय जनता पार्टी)	19-3-2010 से
3.	श्री जगत प्रकाश नड्डा (भारतीय जनता पार्टी)	22-3-2012 से

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सदस्यों की दलीय स्थिति

राजनैतिक दल का पूरा नाम	सदस्यों की संख्या	विधान परिषद	टिप्पणी यदि कोई हो।
1	2	3	4
1. इंडियन नेशनल काँग्रेस	36	—	—
2. भारतीय जनता पार्टी	26	—	—
3. लोक हित पार्टी	1	—	—
4. निर्दलीय	5	—	—
कुल	68		

(छ) विधान सभा निर्वाचन:

हिमाचल प्रदेश की 12वीं विधान सभा के गठन हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन-2012 की दिनांक 3.10.2012 को घोषणा की गई, जिसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है :-

1. अधिसूचना जारी करने की तारीख	10 अक्टूबर, 2012 (बुधवार)
2. नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	17 अक्टूबर, 2012 (बुधवार)
3. नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	18 अक्टूबर, 2012 (वीरवार)
4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	20 अक्टूबर, 2012 (शनिवार)
5. मतदान की तारीख	4 नवम्बर, 2012 (रविवार)
6. मतगणना की तारीख	20 दिसम्बर, 2012 (वीरवार)
7. वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	24 दिसम्बर, 2012 (सोमवार)

विधान सभा निर्वाचनों से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार से है :-

1. मतदान केन्द्रों की संख्या	7253
2. मतदाताओं की संख्या	46,08,359
3. मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या एवं प्रतिशतता	33,87,390 (73.51%)
4. नाम निर्देशन अभ्यर्थियों की संख्या	583
5. रद्द किये गये नाम निर्देशन पत्र	70
6. अभ्यर्थिता वापिस लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	54
7. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	459
8. प्रति मतदान केन्द्र की दर से औसत मतदाताओं की संख्या	635
9. मतदान की तिथि	4.11.2012
10. मतगणना की तिथि	20.12.2012
11. वैध मतों की संख्या	33,81,028
12. रद्द मतपत्रों की संख्या	6,362
13. परोक्षी (Proxy) मतों की संख्या	16

12वीं विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची तथा उनका पार्टीवार विवरण परिशिष्ट "छ" पर संलग्न है।

अध्याय-III

प्रशासनिक कार्य

(क) स्थापना सम्बन्धी कार्य:

(I) अधिकारी व कर्मचारी वर्ग:

निर्वाचन विभाग में दिनांक 31-3-2013 को विभिन्न श्रेणियों के निम्न 322 पद नियमित आधार पर स्वीकृत थे :-

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	2.	3.	4.
श्रेणी-I			
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रधान सचिव (निर्वाचन) (भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी)	67000-79000 +10000/- ग्रेड पे	1
2.	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन) (हिमाचल प्रशासनिक सेवा अधिकारी)	37400-67000 +8700/- ग्रेड पे	1
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतूल्य)	15600-39100 +6600/- ग्रेड पे	1
4.	निर्वाचन अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित)	10300-34800 +5400/- ग्रेड पे	1
5.	अनुभाग अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित)	15600-39100 +5400/- ग्रेड पे	2
6.	निजी सचिव, श्रेणी-I (राजपत्रित)	15600-39100 +5400/- ग्रेड पे	1
7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर, श्रेणी-I (राजपत्रित)	10300-34800 +5000/- ग्रेड पे	1
8.	तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित)	10300-34800 +5000/- ग्रेड पे	12
श्रेणी-II			
9.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-II (राजपत्रित)	10300-34800 +4200/- ग्रेड पे	13
10.	अधीक्षक, ग्रेड-II, श्रेणी-II (अराजपत्रित)	10300-34800 +4800/- ग्रेड पे	6

श्रेणी-III			
11.	वरिष्ठ सहायक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +4400/- ग्रेड पे	25
12.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +4400/- ग्रेड पे	1
13.	कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +3200/- ग्रेड पे	2
14.	निर्वाचन कानूनगो, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +4200/- ग्रेड पे	70
15.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +3600/- ग्रेड पे	1
16.	कनिष्ठ सहायक/ लिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +3600/- ग्रेड पे (लिपिकों के कुल स्वीकृत काडर का 50 प्रतिशत) 10300-34800 +3200/- ग्रेड पे ((लिपिकों के कुल स्वीकृत काडर का 50 प्रतिशत)	82
17.	चालक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	5910-20200 +2400/- ग्रेड पे	2
श्रेणी-IV			
18.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	4900-10680 +1650/- ग्रेड पे	1
19.	दफतरी, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	4900-10680 +1650/- ग्रेड पे	1
20.	चपड़ासी, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	4900-10680 +1300/- ग्रेड पे	83
21.	चौकीदार, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	4900-10680 +1300/- ग्रेड पे	12
22.	स्वीपर, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	4900-10680 +1300/- ग्रेड पे	3
योग :-			322

उपरोक्त 322 नियमित स्वीकृत पदों में से दिनांक 31-3-2013 को विभिन्न श्रेणियों के निम्न 44 पद रिक्त थे :-

क्र०सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित)	1
2.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-II (राजपत्रित)	2
3.	अधीक्षक, ग्रेड-II, श्रेणी-II (अराजपत्रित)	2
4.	वरिष्ठ सहायक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	3
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	1
6.	निर्वाचन कानूनगो, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	9
7.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	1
8.	कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	1
9.	लिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	13
10.	चपड़ासी, श्रेणी-IV(अराजपत्रित)	10
11.	चौकीदार, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	1
योग :-		44

इसके अतिरिक्त विभाग में दैनिक भोगी/अंश कालिक आधार पर निम्न 9 पद स्वीकृत

थे:-

क्र०सं०	पद का नाम	कार्यालय का नाम जहां के लिए पद स्वीकृत है	स्वीकृत पद
1.	चौकीदार=1 (दैनिक भोगी आधार पर)	जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला के लिए।	1
2.	स्वीपर=3 (दैनिक भोगी आधार पर)	निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला तथा जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला व बिलासपुर के लिए एक-एक की दर से।	3
3.	स्वीपर=5 (अंशकालिक आधार पर)	जिला निर्वाचन कार्यालय, मण्डी, ऊना, चम्बा, केलंग व रिकांगपिओ के लिए एक-एक की दर से।	5

दैनिक भोगी/अंश कालिक आधार पर स्वीकृत उक्त 9 पदों में से दिनांक 31.3.2013 को जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला के लिए दैनिक भोगी आधार पर स्वीकृत चौकीदार का एकमात्र स्वीकृत पद रिक्त था।

(II) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा निम्नलिखित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया गया:-

	Name of category	Subject matter.	Date of DPC Meeting.
1.	Asstt. Chief Electoral Officer.	Promotion.	1-9-2012
2.	Electoral Officer.	Promotion.	1-9-2012
3.	Tehsildar (Election).	Promotion.	22-5-2012, 25-5-2012 & 27-12-2012
4.	Programmer.	Promotin	26-11-2012
5.	Naib-Tehsildar (Election).	Promotion.	21-6-2012.
6.	Superintendent, Grade-II	Promotion.	11-12-2012
7.	Senior Assistant.	Promotion.	24-7-2012 & 17-1-2013
8.	Election Kanungo.	Secondment appointment.	3-7-2012 & 6-8-2012
9.	Election Kanungos and Clerks.	Confirmation.	15-2-2013
10.	Clerk.	Secondment appointment.	13-3-2012
11.	Clerk.	Promotion amongst Class-IV employees.	24-7-2012
12.	Class-III contract employees. (Computer Operator)	Regularization.	7-9-2012

13.	Class-I & II employees.	Additional increments and higher grade pay under ACPS	19-3-2013
14.	Class-III employees.	-do-	19-3-2013
15.	Class-IV employees.	-do-	6-3-2013
16.	Class-IV daily wager employees.	Regularization.	17-12-2012 & 16-3-2013

(III) रिक्त पदों की पूर्ति :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति से निम्न पदों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके सीधी भर्ती द्वारा पूर्ति की गई:-

क्र० सं०	पद का नाम	श्रेणी	जिस आधार पर नियुक्ति की गई	भर्ती एजेन्सी
1.	निर्वाचन कानूनगो=2	श्रेणी-III (अराजपत्रित)	अनुबन्ध आधार पर=2	हि०प्र०अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से।
2.	लिपिक=7	श्रेणी-III (अराजपत्रित)	अनुबन्ध आधार पर=7	-यथो-

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के छः रिक्त पदों की वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन/स्वीकृति से अधिशेष पूल में से सेकण्डमेंट आधार पर नियुक्ति की गई।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सरकार द्वारा विभाग को निर्वाचन कानूनगो के 7, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के एक, लिपिकों के 6 पदों की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में निहित प्रावधान के अधीन अनुबन्ध आधार पर पूर्ति करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में अध्यपेक्षा हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर व भूतपूर्व सैनिक सैल, हमीरपुर को भेजी गई है। सरकार द्वारा विभाग को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के छः रिक्त पदों की अधिशेष पूल में से सेकण्डमेंट आधार पर पूर्ति करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इस बारे वित्त विभाग से अधिशेष कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निम्न रिक्त पदों की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा पूर्ति की गई:-

क्र० सं०	पद का नाम व श्रेणी जिससे पद सम्बन्धित है	भरे गए रिक्त पदों की संख्या
1.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित)	1
2.	निर्वाचन अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित)	1
3.	तहसीलदार (निर्वाचन) श्रेणी-I (राजपत्रित)	3
4.	प्रोग्रामर श्रेणी-I (राजपत्रित)	1
5.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) श्रेणी-I (राजपत्रित)	2
6.	अधीक्षक, ग्रेड-II, श्रेणी-II (अराजपत्रित)	5
7.	वरिष्ठ सहायक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	4
8.	लिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	2

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अधीन पूर्ति करने बारे विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया जा चुका है। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी प्रकार की पदोन्नतियों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा रखी है। जैसे ही माननीय न्यायालय द्वारा पदोन्नतियों से रोक हटा ली जाएगी, तदानुसार उक्त रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति कर दी जाएगी।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण एवं कम्प्यूट्राईजेशन, मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने तथा विधान सभा के साधारण निर्वाचन-2012 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रकृति के कार्यों के सम्पादनार्थ सरकार की पूर्व अनुमति से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान चण्डीगढ़, विस्तार केन्द्र शिमला (National Institute of Electronics and Information Technology Chandigarh, Extension Centre, Shimla) के माध्यम से कम्प्यूटर प्रोफेशनलज के निम्न पदों की आऊटसोर्सिंग की गई:-

Name and number of posts outsourced.		Project for which outsourcing was done.	Period of outsourcing.
1.	Data Base Administrator (DBA)=1 (For CEOs office)	Computerization and continuation updation and standardization of Photo Electoral Rolls.	Up to 30-9-2013.
2.	Programmer=13 (@ 1 for CEOs office and DEOs office)	-do-	1 Programmer for CEOs office up to 28-2-2015. 12 Programmers for DEOs office up to 30-9-2013.
3.	Computer Operator=71 (2 for CEOs office and 69 for each EROs/ROs office)	-do-	2 Computer Operators for CEOs office up to 30-9-2013. 69 Computer Operators for EROs/ROs office up to 31-3-2013.
4.	Data Entry Operators=17 (1 for each EVMs warehouse established in the Districts)	Online data entry and movement of EVMs.	Up to 30-6-2014

(IV) अधिनियमों/नियमों का अधिनियमन:

निर्वाचन विभाग के अपने कोई भी नियम/अधिनियम नहीं है। परिणामतः विभाग केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए निर्वाचनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नियमों/अधिनियमों/अनुदेशों के अधीन कार्य करता है। निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए गए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन अद्यतन रखा जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग का प्रशासनिक कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रचलित नियमों एवं अनुदेशों तथा हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन नियमावली, 1971 के अन्तर्गत जारी किए गए विभागीय स्थाई आदेशों के अधीन संचालित किया जाता है।

(V) अधिकारियों व कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियाँ :-

निर्वाचन विभाग द्वारा अपने समस्त वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की दिनांक 1-1-2012 की अर्हता तिथि के आधार पर स्थाई वरिष्ठता सूचियां उपलब्ध हैं। दिनांक 1-2-2013 की अर्हता तिथि के आधार पर सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की अस्थायी वरिष्ठता सूचियां तैयार करके दिनांक 2 फरवरी, 2013 को दावे एवं आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी कर दी गई है। निर्धारित अवधि के भीतर विभाग के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी से अपनी वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में दावे/आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं। परिणामतः विभाग द्वारा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दिनांक 1-2-2013 की अर्हता तिथि के आधार पर स्थाई वरिष्ठता सूचियां मास अप्रैल में जारी कर दी जाएगी।

(VI) अनुशासनहीनता के मामले :-

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग के किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनहीनता का कोई मामला नहीं है।

(VII) सतर्कता मामले :-

विभाग में इस समय किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सतर्कता से सम्बन्धित कोई भी मामला नहीं है।

(VIII) न्यायालय मामले :-

निर्वाचन विभाग द्वारा जारी सेवा सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध दिनांक 31.3.2012 को माननीय न्यायालय में निम्न 4 मामले विचाराधीन थे। दिनांक 1.4.2012 से 31.3.2013 तक की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में चार (4) मामले दायर हुये तथा इन मामलों से सम्बन्धित विभागीय उत्तर देय समय अबधि के भीतर दिये गये। माननीय उच्च न्यायालय में अनिर्णित मामलों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

क्र. सं.	आवेदक का नाम	माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या तथा दिनांक	न्यायालय मामले का संक्षेप में विवरण	उत्तर दायर करने की तिथि	अभियुक्ति / निपटारे की तिथि
1.	हि.प्र. राज्य निर्वाचन कानूनगो संघ	99/2008 11-1-2008 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-27)	तहसीलदार (निर्वाचन) के प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन बारे।	06-02-2008	कोई नहीं
2.	श्रीमती कमलेश शर्मा, पूर्व दैनिक भोगी कर्मचारी।	8853/2012 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-33)	विभाग में नियमित लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।	19-10-2011	कोई नहीं
3.	श्रीमती सुमन देवी, वरिष्ठ सहायक	5650/2012 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-34)	विभाग में तहसीलदार (निर्वाचन) के पद पर पदोन्नति प्रदान करने बारे।	29-10-2011	कोई नहीं
4.	श्री सुनील ठाकुर, कनिष्ठ सहायक।	4097/2012 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-35)	स्थानान्तरण बारे।	उत्तर दायर करने से पहले ही आवेदक ने मामला वापिस ले लिया	
5.	श्री नवजीवन मनकोटिया, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	533/2013 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-36)	स्थानान्तरण बारे।	23-02-2013	कोई नहीं
6.	श्री संजय ठाकुर, निर्वाचन कानूनगो	620/2013 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-37)	स्थानान्तरण बारे।	22-03-2013	कोई नहीं

उपरोक्त न्यायालय मामलों में से क्रम संख्या-4 पर वर्णित मामले का माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15-11-2012 को अन्तिम रूप से निपटाया किया गया जबकि अन्य 5 मामले अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(IX) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना व ई-समाधान को लागू करना :-

जन शिकायत निवारण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना मुख्यालय व समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में कर दी गई है। उक्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठों को जन-साधारण की सुविधा हेतु ई-समाधान साफ्टवेयर द्वारा इन्टरनेट से जोड़ दिया गया है ताकि जन-साधारण अपनी शिकायत ऑन लाईन दर्ज करवा सके।

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियन्त्रण एवम् निर्देशन में आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग मुख्यालय में जन-साधारण की सुविधा के लिये "Call Centre" खोला गया है जिसके तहत शिकायतों का निवारण तथा विभाग के कार्यों से सम्बन्धित सही जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस काल सेंटर में लोग निर्वाचन सम्बन्धी कार्य जैसे प्रदेश की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने या मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया, निर्वाचन संचालन सम्बन्धी कुरीतियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों सम्बन्धी जानकारी या विभाग की अन्य गतिविधियों के बारे में प्रश्न/शिकायत कर सकते हैं।

सर्व साधारण अपनी शिकायत इन्टरनेट के माध्यम से भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट (<http://ceohimachal.nic.in>) के लिंक "Public Grievance Redress related to Elections" पर दर्ज करवा सकते हैं।

(X) वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System) :

कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System) के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेख को on-line update किया जा रहा है।

(XI) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

(i) पृष्ठभूमि:— भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 (15 जून, 2005 को अधिसूचित किए जाने के 120 वे दिन) को लागू हुआ था। यह अधिकार बोलने के अधिकार तथा जीवनयापन के अधिकार के आधार पर तैयार किया गया है। इस अधिनियम की यह अपेक्षा है कि जन सूचना अधिकारी आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उसे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदान करें। यदि कोई जन सूचना अधिकारी निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को वांछित सूचना प्रदाय नहीं करता है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदाय करने से इनकार किया गया है। जन सूचना अधिकारी के लिए मामले के निपटान हेतु समय सीमा आवेदन प्राप्ति की तिथि से आरम्भ होगी। जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदाय न करने की स्थिति में आवेदक अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर उसे प्रदाय न करने की स्थिति में दोषी जन सूचना अधिकारियों पर 250/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दण्डारोपण किए जाने का प्रावधान है, यदि वे बिना किसी कारण के दोषी पाए जाते हैं। दण्ड की अधिकतम राशि 25,000/-रूपए तक हो सकती है।

(ii) सूचना प्राप्त करने हेतु फीस/शुल्क: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदाय करने हेतु अपने नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार आवेदन पत्र का शुल्क 10/-रूपए निर्धारित किया गया है। सूचना तैयार होने पर इसकी कीमत निम्न प्रकार से है:-

1	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो।	प्रकाशित मूल्य पर
2	समूल्य प्रकाशनों के अतिरिक्त	ए-4 आकार तथा इससे छोटे आकार के लिए 2/-रूपए प्रति पृष्ठ तथा बड़े आकार के लिए वास्तविक लागत जो कम से कम 20/-रूपए प्रति पृष्ठ होगी।
3	जहां सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जानी हो, जैसे फ्लापी, सी. डी. इत्यादि।	50/-रूपए प्रति फ्लापी और 100/-रूपए प्रति सी. डी.।
4	रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने के लिए शुल्क	20/-रूपए प्रति 30 मिनट अथवा इसके अंश के लिए।

रिपोर्टाधीन अवधि अर्थात् 1-4-2012 से 31-3-2013 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न माध्यमों से विभाग में कुल 38 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "ज" पर संलग्न है।

(X) प्रशिक्षण :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: पर(ट्रेनिंग)बी(12)-6/2007, दिनांक 1 जुलाई, 2009 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति, 2009" अधिसूचित की गई थी, जो प्रशिक्षण एवं विदेशी समनुदेशन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: पर(ट्रेनिंग)बी(12)-6/2007, दिनांक 1 जुलाई, 2009 को समस्त विभागों को क्रियान्वयन हेतु भेजी गई थी। उक्त प्रशिक्षण नीति प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया तथा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण का मसौदा तैयार करके विभागीय प्रशिक्षण पुनरीक्षण समिति के (Departmental Training Review Committee) अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त समिति द्वारा प्रशिक्षण मसौदे को अनुमोदित करने के उपरान्त विभाग द्वारा अनुपालना रिपोर्ट प्रधान सचिव (प्रशिक्षण) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दी गई। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभाग द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012-2013 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करके आयोग को भेजा गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 2012-2013 के तहत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में स्थापित India International Institute of Democracy and Election Management में हिमाचल प्रदेश से 30 Master Trainers को प्रशिक्षण के लिये भेजा गया। हिमाचल प्रदेश विधान सभा निर्वाचनों में इन प्रशिक्षित Master Trainers द्वारा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विधान सभा निर्वाचनों के सुचारु संचालनार्थ प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया।

(ख) लेखा परीक्षा मामले :

निर्वाचन विभाग में वर्ष 2012-2013 में कुल 2 रिपोर्टें व 2 पैरे थे जिनमें से एक रिपोर्ट व एक पैरे का निपटारा अन्तिम रूप से किया जा चुका है। शेष एक रिपोर्ट तथा एक पैरे के निपटारे हेतु विभाग प्रयासरत है।

(ग) भण्डार एवं सामग्री :

वर्ष 2012-2013 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्ररूपों तथा लेखन सामग्री का प्रापण/मुद्रण सरकारी प्रैस से करवाने के पश्चात दिनांक 25 मई, 2012 को समस्त जिलों को वितरित किए गए।

इसके पश्चात दिनांक 1 जनवरी, 2013 को अर्हक तिथि मानते हुये पुनः फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण हेतु प्ररूपों तथा सामग्री को हिमाचल प्रदेश, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग से प्राप्त/ मुद्रित करवाकर दिनांक 12 फरवरी, 2013 को किन्नौर तथा लाहौल स्पिति जिला के अतिरिक्त समस्त जिलों को वितरण किया गया। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी समयबद्ध कार्य के निष्पादन हेतु लेजर टोनर भी प्रदाय किए गए।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2012 हेतु विभिन्न प्रकार के प्ररूप, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री को भी हिमाचल प्रदेश, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग से मुद्रित करवाकर दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 से 08 अक्टूबर 2012 तक समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को वितरित किया गया। निर्वाचन अधिनियम सम्बन्धी पुस्तकें, इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों हेतु बैटरी, पिंक पेपर सीलें, ग्रीन पेपर सीलें, आउटर पेपर स्ट्रिप सीलें, रिटर्निंग ऑफिसर व प्रिजाइडिंग ऑफिसर हेतु पीतल की मोहरें आदि पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये सम्बन्धित से क्रय करने के पश्चात जिलों को प्रदाय की गई। इन निर्वाचनों के संचालन हेतु 7300 वोटिंग कम्पार्टमेंट हिमाचल प्रदेश हैण्डलूम व हैण्डीकाफ्ट निगम से तैयार करने के पश्चात समस्त जिलों को वितरित किये गये।

विभागीय कार्यों तथा विधान सभा निर्वाचन-2012 के सुचारु संचालन हेतु वित्त वर्ष 2012-13 में 01 लेजरजैट प्रिंटर (9050) 01 स्कैनर, 03 लैपटॉप, 06 लेजरजैट प्रिंटर (3015D), 01 लेजरजैट प्रिंटर (3035), 01 लेजरजैट प्रिंटर (3015DN), 06 कम्प्युटर, 12 वॉयस लॉगर तथा 01 यू0पी0एस0 (02KV) हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से क्रय किए गए, जिस हेतु सूचना एवं प्रद्यौगिकी विभाग, हि0 प्र0 से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 जनवरी, 2013 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह गेयटी थियेटर, शिमला में मनाया गया। इसके अतिरिक्त जिला से लेकर बूथ स्तर तक भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। नए पंजीकृत मतदाताओं को सम्मानित करने हेतु 10,000 धातु के बैज तथा 50,000 कागज के चिपकने वाले बैज तैयार किए गए और बूथ स्तर तक इनका समय पर वितरण किया गया।

विभाग की गतिविधियों को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिये कलैण्डर की 47500 प्रतियां हिमाचल प्रदेश प्रिंटिंग प्रैस से मुद्रित करवाई गई तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इन्हें वितरित किया गया।

निर्वाचन विभाग में नेमी कार्य को वर्ष भर सुचारु रूप से चलाने हेतु लेखन सामग्री व सर्वव्यापी प्ररूप, विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रों का क्रय हि0प्र0 मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से किया गया और सभी जिलों को समय पर वितरण किया गया।

(घ) विभाग में कम्प्यूटीकरण:

निर्वाचन विभाग का लगभग पूर्णतया कम्प्यूटीकरण हो चुका है। मुख्यालय में लगभग सभी कार्य कम्प्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। कम्प्यूटीकृत मुख्य कार्यों की सूची निम्न प्रकार से है:

1. मतदाता सूचियों का कम्प्यूटीकरण।
2. मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने का कार्य।
3. विधानसभा चुनाव-2012 के समय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सम्प्रेषण।
4. विभागीय बैवसाइट को अपडेट व विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उपलब्ध करना।
5. विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
6. कौल सैन्टर की सुविधा।
7. सामान्य कार्यालय पत्र व्यवहार।

मतदाता सूचियों का कम्प्यूटीकरण विभाग द्वारा अपने स्तर पर किया गया है। मतदाता सूचियों की डाटा एन्ट्री का कार्य जिला मुख्यालय व उप-मण्डल स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है और मतदाताओं का डाटा HIMSWAN Internet के माध्यम से DIT के डाटा सैन्टर के सर्वर में सॉफ्टवेयर के द्वारा भेजा जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय ERMS-Software में डाटा एन्ट्री करना, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा फार्म-6,6क, 7, 8 व 8क की approval/rejection करना, फोटो को डाटाबेस में merge करना, EPICs को generate व प्रिंट करना व मतदाता सूचियों की PDF Files तैयार करने का प्रशिक्षण सभी जिलों के कर्मचारियों को प्रदान किया गया।

68-निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार किया गया। इन चुनावों में मतदान के दिन सभी मतदान केन्द्रों से विभिन्न प्रकार का डाटा बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा SMS के द्वारा भेजा गया। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथपत्र विभागीय बैवसाइट पर लोड किये गये। विधानसभा चुनावों-2012 के दौरान विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सम्प्रेषण भारत निर्वाचन आयोग को किया गया।

सभी जिलों के निर्वाचन कानूनगो व कर्मचारियों को SMS Based Poll Day Monitoring Software में काम करने का प्रशिक्षण राज्य मुख्यालय में दिया गया।

सेवा अर्हता मतदाताओं के वर्ष 2012 के अनुपूरक-2 की मतदाता सूचियों को तैयार करके सभी जिलों को प्रदान की गई।

68-विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों में नव-नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों के पहचान पत्र तैयार करके जिलों को प्रदान किये गये।

विभाग द्वारा अपनी बैवसाइट <http://ceohimachal.nic.in> तैयार की गई है जिसमें निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध है। सभी मतदाताओं का डाटाबेस भी इस बैवसाइट पर डाला गया है जिसमें मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में डूढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियों को पी.डी.एफ. फॉरमेट में बैवसाइट पर डाला गया है।

ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को विभागीय बैवसाइट पर प्रदान की गई है। इस सुविधा से हिमाचल के नागरिक इन्टरनेट के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आवेदन (फार्म-6), मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन (फार्म-7), मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टी में विद्यमान त्रुटियों को ठीक करने के लिए आवेदन (फार्म-8) व मतदाता सूची में प्रविष्टी को विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अन्यत्र रखने के लिए आवेदन (फार्म-8क) भर सकते हैं।

• काल सैन्टर की सुविधा:-

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के मतदाताओं एवं अन्य सम्बन्धितों की सुविधा के लिए शिमला मुख्यालय में एक टोल फ्री काल सैन्टर स्थापित किया है। टोल फ्री काल सैन्टर का नम्बर 1950 है जिस पर निम्न प्रकार से फोन किया जा सकता है:-

हिमाचल प्रदेश राज्य से - 1950 (लैन्डलाईन व मोबाइल फोन से)

हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर से - 01771950 (लैन्डलाईन व मोबाइल फोन से)

इस काल सैन्टर में लोग निर्वाचन सम्बन्धित शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं उदाहरणतयः प्रदेश की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने या मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया, निर्वाचन संचालन सम्बन्धी कुरीतियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों सम्बन्धी जानकारी या विभाग के बारे में प्रश्न कर सकते हैं।

सर्वसाधारण अपनी शिकायतें इन्टरनेट के माध्यम से भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट ("<http://ceohimachal.nic.in>") के लिंक "Public Grievance Redress related to Elections" पर दर्ज कर सकते हैं।

(ड.) मतदाता सूचियों व मतदाता फोटो पहचान पत्रों से सम्बन्धित शिकायतें :

वर्ष 2012-13 के दौरान मतदाता सूचियों व मतदाता फोटो पहचान पत्रों से सम्बन्धी कुल 26 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "झ" पर है।

AC-WISE ELECTORS AS ON 17-10-2012 (Last date of filing nominations for Vidhan Sabha Elections-2012)				
Assembly Constituency		General Electors		
No.	NAME	MEN	WOMEN	TOTAL
1	2	3	4	5
District Chamba				
1	Churah (SC)	31381	29453	60834
2	Bharmour (ST)	33321	30158	63479
3	Chamba	34663	33386	68049
4	Dalhousie	31576	29020	60596
5	Bhattiyat	32439	30688	63127
Distt. Total :		163380	152705	316085
District Kangra				
6	Nurpur	37692	34893	72585
7	Indora (SC)	38007	34531	72538
8	Fatehpur	36334	34491	70825
9	Jawali	40280	38894	79174
10	Dehra	34123	34212	68335
11	Jaswan-Pragpur	33894	32738	66632
12	Jawalamukhi	32396	31382	63778
13	Jaisinghpur (SC)	34707	36971	71678
14	Sullah	42581	43806	86387
15	Nagrota	37087	35750	72837
16	Kangra	34404	32829	67233
17	Shahpur	35853	34523	70376
18	Dharamshala	32605	30384	62989
19	Palampur	31900	30566	62466
20	Baijnath (SC)	37053	36350	73403
Distt. Total :		538916	522320	1061236
District Lahual & Spiti				
21	Lahual & Spiti (ST)	10995	10915	21910
Distt. Total :		10995	10915	21910
District Kullu				
22	Manali	31131	29545	60676
23	Kullu	37863	35533	73396
24	Banjar	31535	29857	61392
25	Anni (SC)	37283	34762	72045
Distt. Total :		137812	129697	267509

No.	NAME	MEN	WOMEN	TOTAL
1	2	3	4	5
District Mandi				
26	Karsog (SC)	31355	29155	60510
27	Sundernagar	34466	32805	67271
28	Nachan (SC)	35288	34395	69683
29	Seraj	35101	32601	67702
30	Darang	36798	34890	71688
31	Jogindernagar	41160	41835	82995
32	Dharampur	32659	34346	67005
33	Mandi	31388	32088	63476
34	Balh (SC)	32104	32123	64227
35	Sarkaghat	37160	37478	74638
Distt. Total :		347479	341716	689195
District Hamirpur				
36	Bhoranj (SC)	33350	35668	69018
37	Sujanpur	29902	32009	61911
38	Hamirpur	31893	32031	63924
39	Barsar	35784	37451	73235
40	Nadaun	39286	39527	78813
Distt. Total :		170215	176686	346901
District Una				
41	Chintpurni (SC)	36252	33893	70145
42	Gagret	34353	33192	67545
43	Haroli	37071	34074	71145
44	Una	36778	34689	71467
45	Kutlehar	36096	35094	71190
Distt. Total :		180550	170942	351492
District Bilaspur				
46	Jhanduta (SC)	33701	31997	65698
47	Ghumarwin	36934	36951	73885
48	Bilaspur	35886	34572	70458
49	Sri Naina Deviji	32041	29021	61062
Distt. Total :		138562	132541	271103
District Solan				
50	Arki	39215	37727	76942
51	Nalagarh	38146	35057	73203
52	Doon	27530	24780	52310
53	Solan (SC)	37557	34154	71711
54	Kasauli (SC)	30000	26793	56793
Distt. Total :		172448	158511	330959

No.	NAME	MEN	WOMEN	TOTAL
1	2	3	4	5
District Sirmour				
55	Pachhad (SC)	32580	29642	62222
56	Nahan	35048	31999	67047
57	Sri Renukaji (SC)	30335	27525	57860
58	Paonta Sahib	35537	29541	65078
59	Shillai	32209	24986	57195
Distt. Total :		165709	143693	309402
District Shimla				
60	Chopal	34532	31014	65546
61	Theog	37687	35955	73642
62	Kasumpti	31610	28112	59722
63	Shimla	30154	24566	54720
64	Shimla Rural	34884	32786	67670
65	Jubbal-Kotkhai	32203	31648	63851
66	Rampur (SC)	34831	31813	66644
67	Rohru (SC)	33953	30790	64743
Distt. Total :		269854	246684	516538
District Kinnaur				
68	Kinnaur (ST)	26346	25037	51383
Distt. Total :		26346	25037	51383
State Total :		2322266	2211447	4533713

Assembly Constituency-wise data of Service Electors as on 31.07.2012			
No. & Name of Assembly Constituency	Service Electors		
	Male	Female	TOTAL
1	2	3	4
Disrict Chamba			
1-Churah (SC)	206	80	286
2-Bharmour (ST)	166	65	231
3-Chamba	179	55	234
4-Dalhousie	181	51	232
5-Bhattiyat	1499	573	2072
Total	2231	824	3055
Disrict Kangra			
6-Nurpur	1394	700	2094
7-Indora (SC)	1059	476	1535
8-Fatehpur	1335	516	1851
9-Jawali	1286	414	1700
10-Dehra	1436	653	2089
11-Jaswan-Pragpur	1047	461	1508
12-Jawalamukhi	1197	499	1696
13-Jaisinghpur (SC)	1645	842	2487
14-Sullah	1915	991	2906
15-Nagrota	1173	564	1737
16-Kangra	696	314	1010
17-Shahpur	1477	740	2217
18-Dharamshala	1088	521	1609
19-Palampur	1186	545	1731
20-Baijnath (SC)	1325	594	1919
Total	19259	8830	28089
Disrict Lahaul and Spiti			
21-Lahaul&Spiti(ST)	333	101	434
Total	333	101	434
Disrict Kullu			
22-Manali	107	35	142
23-Kullu	203	108	311
24-Banjar	143	64	207
25-Anni (SC)	157	72	229
Total	610	279	889

1	2	3	4
Disrict Mandi			
26-Karsog (SC)	152	44	196
27-Sundernagar	510	127	637
28-Nachan (SC)	716	185	901
29-Seraj	182	68	250
30-Darang	778	242	1020
31-Jogindernagar	1443	300	1743
32-Dharampur	1234	387	1621
33-Mandi	1115	290	1405
34-Balh (SC)	954	270	1224
35-Sarkaghat	1492	620	2112
Total	8576	2533	11109
Disrict Hamirpur			
36-Bhoranj (SC)	1787	606	2393
37-Sujanpur	2225	870	3095
38-Hamirpur	1464	637	2101
39-Barsar	1945	402	2347
40-Nadaun	1353	316	1669
Total	8774	2831	11605
Disrict Una			
41-Chintpurni (SC)	812	287	1099
42-Gagret	1200	444	1644
43-Haroli	804	276	1080
44-Una	427	127	554
45-Kutlehar	1083	323	1406
Total	4326	1457	5783
Disrict Bilaspur			
46-Jhanduta (SC)	1113	375	1488
47-Ghumarwin	1159	371	1530
48-Bilaspur	627	282	909
49-Sri Naina Deviji	298	117	415
Total	3197	1145	4342
Disrict Solan			
50-Arki	702	283	985
51-Nalagarh	809	250	1059
52-Doon	501	185	686
53-Solan (SC)	281	108	389
54-Kasauli (SC)	397	153	550
Total	2690	979	3669

1	2	3	4
Disrict Sirmour			
55-Pachhad (SC)	423	52	475
56-Nahan	641	202	843
57-Sri Renukaji (SC)	367	98	465
58-Paonta Sahib	478	118	596
59-Shillai	280	74	354
Total	2189	544	2733
Disrict Shimla			
60-Chopal	197	68	265
61-Theog	299	119	418
62-Kasumpti	165	51	216
63-Shimla	119	66	185
64-Shimla Rural	466	190	656
65-Jubbal-Kotkhai	172	98	270
66-Rampur (SC)	113	62	175
67-Rohru (SC)	201	85	286
Total	1732	739	2471
Disrict Kinnaur			
68-Kinnaur (ST)	404	63	467
Total	404	63	467
Grand Total	54321	20325	74646

District Name	Assembly Constituency		EPIC Prepared and distributed to the electors during the period 01.04.2012 to 31.05.2012		
	No	Name	For New electors Form-6	Duplicate	Total
1	2	3	4	5	6
Chamba	1	Churah (SC)	79	28	107
	2	Bharmour (ST)	165	40	205
	3	Chamba	211	5	216
	4	Dalhousie	7	35	42
	5	Bhattiyat	59	31	90
District Total =			521	139	660
Kangra	6	Nurpur	22	14	36
	7	Indora (SC)	5	22	27
	8	Fatehpur	16	8	24
	9	Jawali	15	6	21
	10	Dehra	10	18	28
	11	Jaswan-Pragpur	0	23	23
	12	Jawalamukhi	12	20	32
	13	Jaisinghpur(SC)	224	6	230
	14	Sullah	227	209	436
	15	Nagrota	10	6	16
	16	Kangra	70	5	75
	17	Shahpur	0	25	25
	18	Dharamshala	0	35	35
	19	Palampur	179	187	366
20	Baijnath (SC)	200	89	289	
District Total =			990	673	1663
L & S	21	Lahaul & Spiti (ST)	16	15	31
District Total =			16	15	31
Kullu	22	Manali	20	33	53
	23	Kullu	0	0	0
	24	Banjar	50	32	82
	25	Anni (SC)	52	41	93
District Total =			122	106	228
Mandi	26	KARSOG(SC)	7	10	17
	27	SUNDERNAGAR	14	0	14
	28	NACHAN(SC)	5	0	5
	29	SERAJ	10	36	46
	30	DARANG	0	51	51
	31	JOGINDERNAGAR	0	8	8
	32	DHARAMPUR	115	120	235
	33	MANDI	303	15	318
	34	BALH(SC)	66	12	78
	35	SARKAGHAT	195	161	356
District Total =			715	413	1128
Hamirpur	36	Bhoranj (SC)	228	0	228
	37	Sujanpur	25	15	40
	38	Hamirpur	23	25	48
	39	Barsar	26	10	36
	40	Nadaun	8	21	29
District Total =			310	71	381

1	2	3	4	5	6
Una	41	Chintpurni (SC)	5	9	14
	42	Gagret	3	11	14
	43	Haroli	4	26	30
	44	Una	20	32	52
	45	Kutlehar	251	123	374
District Total =			283	201	484
Bilaspur	46	Jhanduta (SC)	0	0	0
	47	Ghumarwin	0	0	0
	48	Bilaspur	0	0	0
	49	Sri Naina DeviJi	0	0	0
District Total =			0	0	0
Solan	50	Arki	1065	227	1292
	51	Nalagarh	67	15	82
	52	Doon	63	13	76
	53	Solan (SC)	399	50	449
	54	Kasauli (SC)	118	33	151
District Total =			1712	338	2050
Sirmour	55	Pachhad (SC)	39	0	39
	56	Nahan	594	187	781
	57	Sri Renukaji (SC)	66	38	104
	58	Paonta Sahib	47	0	47
	59	Shillai	6	0	6
District Total =			752	225	977
Shimla	60	Chopal	63	194	257
	61	Theog	199	0	199
	62	Kasumpti	511	235	746
	63	Shimla	218	20	238
	64	Shimla (Rural)	221	180	401
	65	Jubbal-Kotkhai	0	0	0
	66	Rampur (SC)	269	146	415
	67	Rohru (SC)	0	0	0
District Total =			1481	775	2256
Kinnaur	68	Kinnaur (ST)	16	0	16
District Total =			16	0	16
State Total =			6918	2956	9874

परिशिष्ट "घ"

District Name	Assembly Constituency		EPIC Prepared and distributed to the electors during the period 01.06.2012 to 31.8.2012		
	No	Name	For New electors Form-6	Duplicate	Total
1	2	3	4	5	6
Chamba	1	Churah (SC)	1674	61	1735
	2	Bharmour (ST)	1690	93	1783
	3	Chamba	1013	17	1030
	4	Dalhousie	1989	649	2638
	5	Bhattiyat	1346	603	1949
District Total =			7712	1423	9135
Kangra	6	Nurpur	1329	178	1507
	7	Indora (SC)	1351	195	1546
	8	Fatehpur	1700	266	1966
	9	Jawali	1136	202	1338
	10	Dehra	1320	179	1499
	11	Jaswan-Pragpur	1459	183	1642
	12	Jawalamukhi	1550	157	1707
	13	Jaisinghpur(SC)	1864	313	2177
	14	Sullah	2127	267	2394
	15	Nagrota	1161	56	1217
	16	Kangra	1414	72	1486
	17	Shahpur	1099	94	1193
	18	Dharamshala	1026	144	1170
19	Palampur	1078	221	1299	
20	Baijnath (SC)	2082	268	2350	
District Total =			21696	2795	24491
L & S	21	Lahaul & Spiti (ST)	425	50	475
District Total =			425	50	475
Kullu	22	Manali	1622	367	1989
	23	Kullu	1372	425	1797
	24	Banjar	919	410	1329
	25	Anni (SC)	1726	281	2007
District Total =			5639	1483	7122
Mandi	26	KARSOG(SC)	1061	152	1213
	27	SUNDERNAGAR	1152	85	1237
	28	NACHAN(SC)	898	100	998
	29	SERAJ	943	231	1174
	30	DARANG	987	335	1322
	31	JOGINDERNAGAR	1425	173	1598
	32	DHARAMPUR	1070	218	1288
	33	MANDI	1004	64	1068
	34	BALH(SC)	963	80	1043
35	SARKAGHAT	961	169	1130	
District Total =			10464	1607	12071

1	2	3	4	5	6
Hamirpur	36	Bhoranj (SC)	1047	11	1058
	37	Sujanpur	1070	129	1199
	38	Hamirpur	994	135	1129
	39	Barsar	995	229	1224
	40	Nadaun	1413	126	1539
District Total =			5519	630	6149
Una	41	Chintpurni (SC)	1189	0	1189
	42	Gagret	1267	0	1267
	43	Haroli	1863	29	1892
	44	Una	1791	155	1946
	45	Kutlehar	1322	104	1426
District Total =			7432	288	7720
Bilaspur	46	Jhanduta (SC)	806	67	873
	47	Ghumarwin	1189	139	1328
	48	Bilaspur	788	192	980
	49	Sri Naina DeviJi	1179	211	1390
District Total =			3962	609	4571
Solan	50	Arki	1760	207	1967
	51	Nalagarh	755	53	808
	52	Doon	932	63	995
	53	Solan (SC)	1166	48	1214
	54	Kasauli (SC)	1410	81	1491
District Total =			6023	452	6475
Sirmour	55	Pachhad (SC)	1365	120	1485
	56	Nahan	1628	495	2123
	57	Sri Renukaji (SC)	1753	371	2124
	58	Paonta Sahib	1519	110	1629
	59	Shillai	1780	236	2016
District Total =			8045	1332	9377
Shimla	60	Chopal	2022	450	2472
	61	Theog	1830	640	2470
	62	Kasumpti	2071	227	2298
	63	Shimla	3469	154	3623
	64	Shimla (Rural)	1308	218	1526
	65	Jubbal-Kotkhai	2338	619	2957
	66	Rampur (SC)	1722	394	2116
67	Rohru (SC)	1847	473	2320	
District Total =			16607	3175	19782
Kinnaur	68	Kinnaur (ST)	1751	263	2014
District Total =			1751	263	2014
State Total =			95275	14107	109382

District Name	Assembly Constituency		EPIC Prepared and distributed to the electors during the period 01.09.2012 to 31.10.2012		
	No.	Name	For New electors Form-6	Duplicate	Total
1	2	3	4	5	6
Chamba	1	Churah (SC)	39	11	50
	2	Bharmour (ST)	153	2	155
	3	Chamba	797	18	815
	4	Dalhousie	93	15	108
	5	Bhattiyat	448	310	758
District Total =			1530	356	1886
Kangra	6	Nurpur	125	49	174
	7	Indora (SC)	99	23	122
	8	Fatehpur	88	31	119
	9	Jawali	113	30	143
	10	Dehra	62	57	119
	11	Jaswan-Pragpur	52	32	84
	12	Jawalamukhi	69	48	117
	13	Jaisinghpur(SC)	278	95	373
	14	Sullah	280	217	497
	15	Nagrota	94	18	112
	16	Kangra	157	14	171
	17	Shahpur	128	110	238
	18	Dharamshala	801	128	929
19	Palampur	580	222	802	
20	Baijnath (SC)	156	65	221	
District Total =			3082	1139	4221
L & S	21	Lahaul & Spiti (ST)	20	20	40
District Total =			20	20	40
Kullu	22	Manali	148	71	219
	23	Kullu	397	0	397
	24	Banjar	851	199	1050
	25	Anni (SC)	899	50	949
District Total =			2295	320	2615
Mandi	26	KARSOG(SC)	165	81	246
	27	SUNDERNAGAR	449	0	449
	28	NACHAN(SC)	214	0	214
	29	SERAJ	13	27	40
	30	DARANG	171	17	188
	31	JOGINDERNAGAR	265	82	347
	32	DHARAMPUR	147	67	214
	33	MANDI	211	16	227
	34	BALH(SC)	112	11	123
35	SARKAGHAT	68	40	108	
District Total =			1815	341	2156

1	2	3	4	5	6
Hamirpur	36	Bhoranj (SC)	160	8	168
	37	Sujanpur	162	87	249
	38	Hamirpur	392	79	471
	39	Barsar	181	79	260
	40	Nadaun	134	6	140
District Total =			1029	259	1288
Una	41	Chintpurni (SC)	65	2	67
	42	Gagret	81	2	83
	43	Haroli	85	60	145
	44	Una	402	0	402
	45	Kutlehar	88	37	125
District Total =			721	101	822
Bilaspur	46	Jhanduta (SC)	1332	25	1357
	47	Ghumarwin	1020	30	1050
	48	Bilaspur	332	92	424
	49	Sri Naina DeviJi	133	95	228
District Total =			2817	242	3059
Solan	50	Arki	61	201	262
	51	Nalagarh	150	11	161
	52	Doon	64	9	73
	53	Solan (SC)	503	135	638
	54	Kasauli (SC)	126	71	197
District Total =			904	427	1331
Sirmour	55	Pachhad (SC)	193	37	230
	56	Nahan	415	365	780
	57	Sri Renukaji (SC)	60	91	151
	58	Paonta Sahib	557	89	646
	59	Shillai	116	56	172
District Total =			1341	638	1979
Shimla	60	Chopal	202	44	246
	61	Theog	151	311	462
	62	Kasumpti	675	195	870
	63	Shimla	3029	178	3207
	64	Shimla (Rural)	249	140	389
	65	Jubbal-Kotkhai	313	150	463
	66	Rampur (SC)	208	150	358
	67	Rohru (SC)	150	80	230
District Total =			4977	1248	6225
Kinnaur	68	Kinnaur (ST)	119	60	179
District Total =			119	60	179
State Total =			20650	5151	25801

District Name	Assembly Constituency		EPIC Prepared and distributed to the electors during the period 01.11.2012 to 16.02.2013		
	No.	Name	For New electors Form-6	Duplicate	Total
1	2	3	4	5	6
Chamba	1	Churah (SC)	39	58	97
	2	Bharmour (ST)	0	0	0
	3	Chamba	154	3	157
	4	Dalhousie	42	20	62
	5	Bhattiyat	208	79	287
District Total =			443	160	603
Kangra	6	Nurpur	0	0	0
	7	Indora (SC)	0	0	0
	8	Fatehpur	0	45	45
	9	Jawali	0	55	55
	10	Dehra	0	49	49
	11	Jaswan-Pragpur	0	57	57
	12	Jawalamukhi	0	56	56
	13	Jaisinghpur(SC)	0	17	17
	14	Sullah	145	57	202
	15	Nagrota	17	21	38
	16	Kangra	34	36	70
	17	Shahpur	28	0	28
	18	Dharamshala	132	0	132
19	Palampur	81	43	124	
20	Bajnath (SC)	66	0	66	
District Total =			503	436	939
L & S	21	Lahaul & Spiti (ST)	0	0	0
District Total =			0	0	0
Kullu	22	Manali	165	70	235
	23	Kullu	291	172	463
	24	Banjar	62	53	115
	25	Anni (SC)	94	7	101
District Total =			612	302	914
Mandi	26	KARSOG(SC)	4	43	47
	27	SUNDERNAGAR	31	0	31
	28	NACHAN(SC)	17	0	17
	29	SERAJ	0	6	6
	30	DARANG	14	94	108
	31	JOGINDERNAGAR	0	26	26
	32	DHARAMPUR	167	7	174
	33	MANDI	52	12	64
	34	BALH(SC)	14	10	24
	35	SARKAGHAT	94	8	102
District Total =			393	206	599

1	2	3	4	5	6
Hamirpur	36	Bhoranj (SC)	7	10	17
	37	Sujanpur	25	9	34
	38	Hamirpur	50	5	55
	39	Barsar	0	4	4
	40	Nadaun	27	6	33
District Total =			109	34	143
Una	41	Chintpurni (SC)	6	4	10
	42	Gagret	1	4	5
	43	Haroli	17	7	24
	44	Una	50	32	82
	45	Kutlehar	14	6	20
District Total =			88	53	141
Bilaspur	46	Jhanduta (SC)	0	30	30
	47	Ghumarwin	5	40	45
	48	Bilaspur	18	15	33
	49	Sri Naina DeviJi	8	10	18
District Total =			31	95	126
Solan	50	Arki	0	17	17
	51	Nalagarh	0	0	0
	52	Doon	0	0	0
	53	Solan (SC)	139	90	229
	54	Kasauli (SC)	28	22	50
District Total =			167	129	296
Sirmour	55	Pachhad (SC)	31	23	54
	56	Nahan	0	42	42
	57	Sri Renukaji (SC)	0	31	31
	58	Paonta Sahib	76	25	101
	59	Shillai	57	20	77
District Total =			164	141	305
Shimla	60	Chopal	14	15	29
	61	Theog	0	0	0
	62	Kasumpti	52	32	84
	63	Shimla	47	30	77
	64	Shimla (Rural)	32	46	78
	65	Jubbal-Kotkhai	0	0	0
	66	Rampur (SC)	19	42	61
	67	Rohru (SC)	0	0	0
District Total =			164	165	329
Kinnaur	68	Kinnaur (ST)	0	0	0
District Total =			0	0	0
State Total =			2674	1721	4395

विधान सभा निर्वाचन – 2012

निर्वाचित सदस्य की सूची

निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० और नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	दल संबद्धता (यदि कोई हो)
1	2	3
1 चुराह (अ.जा.)	हंस राज	भारतीय जनता पार्टी
2 भरमौर (अ.ज.जा.)	ठाकुर सिंह भरमौरी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
3 चम्बा	बी० के० चौहान	भारतीय जनता पार्टी
4 डलहौजी	आशा कुमारी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
5 भटियात	बिक्रम सिंह जरयाल	भारतीय जनता पार्टी
6 नूरपुर	अजय महाजन	इंडियन नेशनल काँग्रेस
7 इन्दौरा (अ.जा.)	मनोहर धीमान	निर्दलीय
8 फतेहपुर	सुजान सिंह पठानिया	इंडियन नेशनल काँग्रेस
9 ज्वाली	नीरज भारती	इंडियन नेशनल काँग्रेस
10 देहरा	रविन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
11 जसवां-प्रागपुर	बिक्रम सिंह	भारतीय जनता पार्टी
12 ज्वालामुखी	संजय रतन	इंडियन नेशनल काँग्रेस
13 जयसिंहपुर (अ.जा.)	यादविन्द्र गोमा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
14 सुलह	जगजीवन पाल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
15 नगरोटा	जी.एस. बाली	इंडियन नेशनल काँग्रेस
16 कांगड़ा	पवन काजल	निर्दलीय
17 शाहपुर	सरवीन	भारतीय जनता पार्टी
18 धर्मशाला	सुधीर शर्मा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
19 पालमपुर	बृज बिहारी लाल बुटेल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
20 बैजनाथ (अ.जा.)	किशोरी लाल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
21 लाहौल और स्पिति(अ.ज.जा.)	रवि ठाकुर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
22 मनाली	गोविन्द सिंह ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
23 कुल्लू	महेश्वर सिंह	हिमाचल लोकहित पार्टी
24 बन्जार	कर्ण सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
25 आनी (अ.जा.)	खूब राम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
26 करसोग (अ.जा.)	मनसा राम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
27 सुन्दरनगर	सोहन लाल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
28 नाचन (अ.जा.)	विनोद कुमार	भारतीय जनता पार्टी
29 सिराज	जय राम ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
30 दरंग	कौल सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
31 जोगिन्द्रनगर	गुलाब सिंह ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
32 धर्मपुर	महेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
33 मण्डी	अनिल कुमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
34 बल्ह (अ.जा.)	प्रकाश चौधरी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
35 सरकाघाट	इन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
36 भोरंज (अ.जा.)	ईश्वर दास धीमान	भारतीय जनता पार्टी
37 सुजानपुर	राजेन्द्र सिंह	निर्दलीय
38 हमीरपुर	प्रेम कुमार धूमल	भारतीय जनता पार्टी
39 बड़सर	इन्द्र दत्त लखनपाल	इंडियन नेशनल काँग्रेस

1	2	3
40 नदौन	विजय अग्निहोत्री	भारतीय जनता पार्टी
41 चिन्तपुरनी (अ.जा.)	कुलदीप कुमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
42 गगरेट	राकेश कालिया	इंडियन नेशनल काँग्रेस
43 हरोली	मुकेश अग्निहोत्री	इंडियन नेशनल काँग्रेस
44 ऊना	सतपाल सिंह सत्ती	भारतीय जनता पार्टी
45 कुटलैहड़	वीरेन्द्र कंवर	भारतीय जनता पार्टी
46 झण्डुता (अ.जा.)	रिखी राम कौंडल	भारतीय जनता पार्टी
47 घुमारवीं	राजेश धर्माणी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
48 बिलासपुर	बम्बर ठाकुर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
49 श्री नैना देवीजी	रणधीर शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
50 अर्की	गोविन्द राम शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
51 नालागढ़	कृष्ण लाल ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
52 दून	राम कुमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
53 सोलन (अ.जा.)	धनी राम शांडिल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
54 कसौली (अ.जा.)	राजीव सैजल	भारतीय जनता पार्टी
55 पच्छाद (अ.जा.)	सुरेश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
56 नाहन	राजीव बिन्दल	भारतीय जनता पार्टी
57 श्री रेणुकाजी (अ.जा.)	विनय कुमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
58 पांवटा साहिब	किरनेश जंग	निर्दलीय
59 शिलाई	बलदेव सिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी
60 चौपाल	बलवीर सिंह वर्मा	निर्दलीय
61 ठियोग	विद्या	इंडियन नेशनल काँग्रेस
62 कसुम्पटी	अनिरुद्ध सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
63 शिमला	सुरेश भारद्वाज	भारतीय जनता पार्टी
64 शिमला ग्रामीण	वीरभद्र सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
65 जुब्बल-कोटखाई	रोहित ठाकुर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
66 रामपुर (अ.जा.)	नन्द लाल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
67 रोहडू (अ.जा.)	मोहन लाल ब्राक्टा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
68 किन्नौर (अ.ज.जा)	जगत सिंह नेगी	इंडियन नेशनल काँग्रेस

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कैप्टन जगदीश चंद, निवासी ग्राम नरोला, डा.घर.बलदाड़ा, जिला मण्डी, हि.प्र.	13-03-2012	35-सरकाधाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मतदाताओं, विधायकों व आरक्षण के सन्दर्भ में	इस विभाग के पत्र संख्या: 6-30/2010-635 ई.एल.एन. दिनांक 2 अप्रैल, 2012 के द्वारा सूचना तैयार होने तथा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया।	मु० 104/- रु पंजीकृत डाकखर्च सहित सूचना का मू० 161/- रु	11-05-12	आवेदन शुल्क 10/- रुपये आई.पी.ओ. सं.03F 899771तथा सूचना का शुल्क 104/- रु प्रार्थी से रसीद न. द्वारा प्राप्त किये गये।
2.	श्री ए०बी० राजबंस, निवासी अनसोली, डा०घ० मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि०प्र०।	2-4-2012	हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधायकों के चल व अचल सम्पत्ति के विवरण।	6.4.2012 समस्त लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित	शून्य	शून्य	शून्य क्योंकि आवेदक बी०पी०एल० परिवार से सम्बन्धित है तथा प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है।
3.	श्री ए.के. नायक, के-274/7, कास रोड़ माजरा झड़ोदा, नई दिल्ली-110084.	13-05-2012 (भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से)।	मतदाता फोटो पहचान पत्र बारे।	मांगी गई सूचना रा० रा० दिल्ली से सम्बन्धित है। अतः आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2012 को जन सूचना अधिकारी का० मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रा० रा० दिल्ली, को अग्रेषित किया गया है।	-	-	शून्य (आवेदन शुल्क आवेदक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में जमा किया गया है।)
4.	श्री विनीत कुमार नागपाल, वार्ड नं०-6, घर नं० 697 पालमपुर हि० प्र०।	13-05-2012 (भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से)।	मतदाता फोटो पहचान पत्र बारे।	मांगी गई सूचना पंजाब राज्य से सम्बन्धित है। अतः आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2012 को जन सूचना अधिकारी का० मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब स्थित चण्डीगढ़ को अग्रेषित किया गया है।	-	-	शून्य (आवेदन शुल्क आवेदक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में जमा किया गया है।)

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	श्री नरेश कुमार, दुसरी मंजिल, हिमगीरी, लॉगवुड, शिमला, हि0प्र0।	21-5-2012	हिमाचल प्रदेश के 1952 से 2007 तक विधान सभा व लोक सभा निर्वाचनों, की सूचना।	26.5.2012	366/- रूपये जमा 52/-रूप ये डाक खर्च	आवेदनकर्ता से सूचना प्राप्त कराने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	10/-रूपये आवेदन शुल्क
6.	Shri Sandeep Kumar S/O Shri Parkash Chand, H.No. 21, Shivalik Estate Near UCO Bank, Nalagarh District Solan through PIO cum Joint Director, Department of IT, HP	25/05/12	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005.	26-05-2012	-	26-05- 2012 (By Post)	-
7.	Shri Khiali Ram Naib- Tehsildar (Election), District Election Officer, Nahan, District Sirmour, HP	28/05/12	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005 regarding holding of DPC to fill up the post of Tehsildar (Election) Sirmour at Nahan.	17-07-2012	-	30 th July, 2012	35/- रूपये
8.	श्री सूरज प्रकाश पाल, नजदीक महीन्द्रा सर्विस स्टेशन बसाल, तहसील व जिला सोलन	06-06-2012	बूथ लेवल अधिकारियों के कर्तव्यों तथा वर्ष- 2011 में निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियक्ति का विवरण प्रदाय करने हेतु आवेदन	इस विभाग के पत्र संख्या: 6- 30/2010-1213 ई.एल.एन. दिनांक 25 जून, 2012 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचना भेजने हेतु लिखा गया।	मु 50/- रु पंजीकृत डाकखर्च सहित सूचना का मू0 97/- रु	25-07-12	आवेदन शुल्क 10/-रूपये आई.पी.ओ. सं.08F 534557 तथा सूचना का शुल्क 100/-रु आई.पी.ओ. सं.35H 057089 प्रार्थी से प्राप्त किये गये।
9.	श्री अनिल बैरवाल टैवल नं- 5 बी1/6 (अप्पर ग्रांड फ्लोर) हांज खास नई दिल्ली-110016	09-07-2012	Application for information U/S 6(1) of the Right to Information Act, 2005	इस विभाग के पत्र संख्या: 3-12/2012- ई.एल.एन. दिनांक 17 जुलाई, 2012 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, को सूचना भेजने हेतु लिखा गया।	-	-	आवेदन शुल्क 10/- रूपये आई.पी.ओ. सं.05F 317661

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	श्री शीला राजटा C/o श्री परस राम मेन्टा, समरहील शिमला-5 हि0प्र0	16-07-2012	Application for information U/S 6(1) of the Right to Information Act, 2005	इस विभाग के पत्र संख्या: 3-12/2012-ई.एल.एन. दिनांक 25-7-2012 के द्वारा सूचना तैयार होने तथा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया।	--	--	आवेदन शुल्क 10/- रुपये आई.पी.ओ. सं.08F 597803
11.	Sh. Ranjit Kumar S/o Sh Kholi Ram Vill. Pandad P.O. Lambagaon Teh. Jaisinghpur Distt. Kangra HP-176096	17-07-12	Application for information U/S 6(1) of the Right to Information Act, 2005	20.07.2012	42/-	30.7.2012	आवेदन शुल्क 10/- रुपये आई.पी.ओ. सं.08F 594231
12.	Sh. Aninder Singh (Advocate) C/o Luxmi Diesel Service, Bhuppur Paonta Sahib, Distt, Sirmour, HP (Four Applications)	31.07.12	Application for information U/S 6(1) of the Right to Information Act, 2005	07.08.2012	50/-	17.8.2012	आवेदन शुल्क चार प्रार्थना पत्र के लिए 40/- रुपये (10/- प्रति आवेदन)
13.	Sh. Lawan Kumar 88/6, Samkheter, Mandi Town, Distt. Mandi, HP 175001	06.08.12	Application for information U/S 6(1) of the Right to Information Act, 2005	इस विभाग के पत्र संख्या: 3-12/2012-ई.एल.एन. दिनांक 09-08-2012 के द्वारा सूचना तैयार होने तथा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया।	--	--	आवेदन शुल्क 10/- रुपये आई.पी.ओ. सं.07F 887967
14.	Shri Narian Singh S/o Shri Ghasi Lal, Village Sari, PO-Kothi, The-Pangi, District Chamba	6-8-2012	Information regarding delimitation base	23-8-2012	Rs. 68/-	12-9-2012	Total Rs. 114/- (including Rs. 36/- Postal Charges)
15.	श्री विकास अग्रवाल, निवासी वार्ड नं029, चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान-303702	13.08.12	Application for information U/S 6(1) of the Right to Information Act, 2005	22.08.2012	85/- (42/- डाक खर्च सहित)	05.09.2012	आवेदन शुल्क 10/- रुपये आई.पी.ओ. सं.06F 212426

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Shri Chuni Lal, Peon, District Election Office, Kullu	30/08/2012	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005.	Individual was informed vide letter No. 5-19/2010-ELN dated 03/09/2012	-	Applicant has not received information.	-
17.	श्री मोहिन्द्र सिंह S/O श्री जय करन, ग्राम वडा0 भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0	07.09.12	Application for information U/S 6(1) of the Right to Information Act, 2005	इस विभाग के पत्र संख्या: 3-12/2012-ई.एल.एन. दिनांक 10.9.2012 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्बा को सूचना भेजने हेतु लिखा गया।	-	-	आवेदन शुल्क 10/- रूपये
18.	श्री अनिल बैरवाल टैवल नं-5 बी1/6 (अप्पर ग्रांड फ्लोर) हांज खास नई दिल्ली-110016	20.9.2012	Application for information U/S 6(1) of the Right to Information Act, 2005	इस विभाग के पत्र संख्या: 3-12/2012-ई.एल.एन. दिनांक 24.9.2012 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी, बिलासपुर व हमीरपुर को सूचना भेजने हेतु लिखा गया।	-	-	आवेदन शुल्क 10/- रूपये आई.पी.ओ. सं.06F 649379
19.	श्री सुशील कुमार, सपुत्र श्री दिवान, घर न0 182, न्यू इन्दिरा कॉलोनी, जांदली, अम्बाला सिटी, 143003, हरियाणा	8.10.2012	वर्ष 2012 में विधान सभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के दौरान नियुक्ति पत्र जारी करने बारे।	30.10.2012	₹ 10/-	30.10.2012	₹ 37/-रूपये (डाक व्यय सहित)

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	श्री अशोक कुमार, घर न0 1296/4, वार्ड न0 4, पुष्प विहार, गुप्त गंगा रोड, कांगड़ा, जिला कांगड़ा	10.10.2012	क्या राज्य सरकार आदर्श आचार संहिता के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति/सहमति के बिना नियुक्ति/स्थानान्तरण पत्र इत्यादि जारी कर सकती है।	31.10.2012	₹ 16/-	29.11.2012	₹ 36/-रूपये (डाक व्यय सहित)
21.	Shri V.K. Sharma, Set No.1 ACF Block, Forest Mini Chamber, Khalini Through Principal Secretary (Training) to the Govt. of H.P.	26.10.2012	Request for information under RTI Act, in respect of Departmental Examination through HP Public Service Commission (HIPA)	31-10-2012	-	The information has been supplied to the Principal Secretary (Training) to the Govt. of H.P.	-
22.	Shri Lekh Ram Sharma, Village & Post Officer, Battal, Tehsil Arki Distt. Solan - 173208	16.11.2012	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005-Appointment of Clerks through HP Sub-ordinate Services Selection Board, Hamirpur	20-11-2012	-	The information has been supplied to individual.	-
23.	श्री दयानन्द धमी ग्राम व डा0 जरोल वाया कोटगढ़ तहसील कुमारसैन, जिला शिमला हि0प्र0 172031	17-11-12	मतदाता को मतदान के लिए आ रही समस्या के निराकरण बारे आवश्यक जानकारी	इस विभाग के पत्र संख्या 7-3/2008-ई.एल.एन. दिनांक 19 नवम्बर, 2012 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, शिमला को सूचना भेजने हेतु लिखा गया।	-	-	आवेदन शुल्क 10/-रूपये आई.पी.ओ. सं.12F 094248
24.	श्री संदीप S/O श्री तुलसी राम, संजौली शिमला-6 हि0प्र0	20.11.12	Application to know the vote casting of 4 th Nov (H.P)	इस विभाग के पत्र संख्या: 3-12/2012-ई.एल.एन. दिनांक 30 नवम्बर, 2012 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, शिमला को सूचना भेजने हेतु लिखा गया।	-	-	आवेदन शुल्क 10/-रूपये आई.पी.ओ. सं.12F 086319

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	श्री औंकार नाथ शर्मा पुत्र श्री राम लाल शर्मा निवासी मेन मार्किट तलवारा, जिला होशियारपुर तहसील मुकेरियां, पंजाब	19-12-12	Reason for not taking action under section-31 of Representation of People Act for dual registration in Electoral Rolls.	इस विभाग के पत्र संख्या:6-10/2010-ई.एल.एन. दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 द्वारा सूचना प्रदाय करने हेतु आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) चम्बा को प्रेषित किया गया ।	-	-	आवेदन शुल्क 10/- रूपये आई.पी.ओ. सं.07G 069116
26.	श्री दयानन्द धमी ग्राम व डा0 जरोल वाया कोटगढ़ तहसील कुमारसैन, जिला शिमला हि0प्र0 172031	02-01-13	मतदाता को मतदान के लिए आ रही समस्या के निराकरण बारे आवश्यक जानकारी	इस विभाग के पत्र संख्या 7-3/2008-ई.एल.एन.-4288 दिनांक 03 जनवरी, 2013 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, शिमला को सूचना भेजने हेतु लिखा गया ।	-	-	आवेदन शुल्क 10/- रूपये आई.पी.ओ. सं.12F 094882
27.	श्री राजेश कटोच पुत्र श्री स्वरूप चन्द, गांव व डाकघर बोडा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0। (राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से)	6-1-2013	हिमाचल प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2012 के दौरान पोलिंग पार्टियों के ठहरने व खान पान की व्यवस्था बारे सूचना।	24.1.2013	8/- रूपये जमा 32/-रूपये डाक खर्च	8.2.2013	8/- रूपये जमा 10/-रूपये आवेदन शुल्क कुल-18/- रूपये
28.	श्री एच. एस. ठाकुर, कार्यालय आर.टी.आई. कलर्क, दमदमा कम्प्लैक्स, जिला मण्डी।	7.1.2013	विधान सभा निर्वाचन-2012 के दौरान जिला मंडी में लोक निर्माण विभाग के पधर मण्डल के कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों बारे।	29.1.2013	₹ 50/-	12.3.2013	(कुल ₹ 96/-रूपये) ₹ 10/-रूपये (फीस) ₹ 50/-रूपये (सूचना का मूल्य) ₹ 36/-रूपये (पंजीकृत डाकखर्च)

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Sh. K.L. Notary, Walterton Estate, Above Palika Bhawan, Shimla-2 (राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से)	23-1-2013	हिमाचल प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2012 से सम्बन्धित सूचना।	24.1.2013 समस्त लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित	शून्य	शून्य	10/-रूपये आवेदन शुल्क
30.	Sh. K.L. Notary, Walterton Estate, Above Palika Bhawan, Shimla-2 (राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से)	23-1-2013	हिमाचल प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2012 से सम्बन्धित सूचना।	24.1.2013 समस्त लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, हि0 प्र0 को स्थानान्तरित	शून्य	शून्य	10/-रूपये आवेदन शुल्क
31.	Sh. Anil Bairwal, National Coordinator, Association for Democratic Reforms, Table No.5 Kiwanis Centre, B_35, 4 th Floor, Qutub Institutional Area (Near Rockland Hospital), New Delhi-110016	29.1.2013	Information related to the affidavits submitted by contested candidates in Lok Sabha Election 2009.	11.2.2013	शून्य	11.2.2013	10/-रूपये आवेदन शुल्क
32.	श्री श्यामलाल यादव वरि0 सहायक सम्पादक, दी इंडियन एक्सप्रेस, 9&10, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली-110002	06-02-13	Request for Information under RTI Act	इस विभाग के पत्र सख्या 7-3/2008-ई.एल.एन.-384 दिनांक 14 फरवरी, 2013 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, हि0प्र0 को सूचना भेजने हेतु लिखा गया।	-	-	आवेदन शुल्क 10/-रूपये आई.पी.ओ. सं.06F 683994
33.	Sh. Raj Kishore Chaudhary S/O Lt. Sh. Suryamani Chaudhary, Chairman, Tharu Shakti Sangathan, Parsoni Khurd, Post Nautnavan Janpad Maharajganj, UP (Through State Election Commission, HP)	15-2-2013	Information related to the Elections	22.2.2013 लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को स्थानान्तरित	शून्य	शून्य	10/-रूपये आवेदन शुल्क

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Sh. Raj Kishore Chaudhary S/O Lt. Sh. Suryamani Chaudhary, Chairman, Tharu Shakti Sangathan, Parsoni Khurd, Post Nautnavan Janpad Maharajganj, UP/	15-2-2013	Information related to the Elections	22.2.2013 लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को स्थानान्तरित	शून्य	शून्य	10/-रूपये आवेदन शुल्क
35.	Sh. Dhiraj Chawla, 207, Sector-45A, Chandigarh.	19-2-2013	Information related to Voters of Gagret Assembly Constituency	22.2.2013 लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊना को स्थानान्तरित	शून्य	शून्य	10/-रूपये आवेदन शुल्क
36.	Shri Ajay Kumar, Advocate, Sub Divisional Court, Ghumarwin, District Bilaspur	23-2-2013	Information regarding delimitation	4-3-2013	Rs. 140/-	Not received as yet	Rs. 10/- (fee)
37.	Shri Devender Singh, Village Janed, Post Office, Marathu Tehsil Sadar, District Mandi Through Director, SC,OBC& Minority Affairs, H.P. Shimla-9	27-02-2013	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005	18-03-2013	-	The information has been supplied to individual.	-
38.	Sh. Baldev Sharma, cottage No. 21, Old Brockhurst, Shimla-171002	7-3-2013	Information about the complaint filed by Sh. Virbhadra Singh	16.3.2013	214/- रूपये जमा 36/-रूपये डाक खर्च	25.3.2013	214/- रूपए जमा 10/-रूपये आवेदन शुल्क कुल-224/- रूपये

DETAIL OF COMPLAINTS IN CONNECTION WITH ENROLMENT OF NAMES AND EPICs

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	05-03-12	Sh. Onkar Nath Sharma, Main Market Talwara, Distt. Hoshiarpur, Punjab	Dual Registration	Electoral Registration Officer (SDM), Dalhousie has conducted the enquiry and passed the order for deletion of names of dual registered electors.	Disposed of
2.	30-04-12	Smt. Meena Chauhan R/O of Vill. Sughar, P.O. Bandla, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)	Regarding non-receipt of EPICs	ERO (SDM) Palampur has prepared the EPICs and informed the complainant accordingly.	Disposed of
3.	25-04-12	Captain Prithvi Chand, President, Congress Committee, Nadaun, District Hamirpur, H.P.	Deletion of Dead/Shifted electors	The field enquiry has been conducted by the ERO Nadaun and further course of action shall be taken during current Special Summary Revision.	Disposed of
4.	09-05-12	Anonymous	Deletion of Dead/Shifted electors	-do-	Disposed of
5.	16-05-12	Ms. Sulakshna Saini, Sarpanch, Gram Panchayat Samrala, Teh. & Distt. Pathankot	Dual Registration	The field enquiry has been conducted by the ERO Chamba and after verification names mentioned in complaint have been retained in 3-Chamba A.C. and ERO Pathankot has been asked to delete these names.	Disposed of
6.	14-06-12	Sh. Ram Rattan, V & P.O. Bhawanagar, Tehsil Nichar District Kinnaur Through E-Samadhan	Regarding enrolment of name in the Electoral Roll	The form-6 was rejected because it was not signed by the applicant. Applicant has been suggested to submit the form-6 again. Accordingly the complainant has deposited the same.	Disposed of
7.	11-07-12	Sh. Rajnish Kumar Rana, House No.41(3) Vill. Bari, P.O. Karot, Teh. Sujanpur, District Hamirpur, H.P.	Correction in the EPIC	The complaint has been disposed of by the ERO (SDM) Hamirpur on 18-7-2012.	Disposed of.
8.	26-07-12	Sh. Vipin Kumar Dhiman, Village Bala, P.O. Dahad, The. Jhanduta, Distt. Bilaspur H.P.	Regarding issue of duplicate EPIC	Duplicate EPIC has been issued to the complainant	Disposed of.
9.	03-08-12	Sh. Mukesh Kumar R/O Village Bangottu Tika Juhari, Dharamshala District Kangra H.P.	Regarding wrong particulars in Photo Electoral Roll	The particulars of the complainant were found correct in the PER of 18-Dharamshala A.C. Actually his particulars are wrong in the Electoral Roll in respect of State Election Commission.	Disposed of

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.	19-10-12	Ms. Naina Sood, House No.78/1, Ward No.5 Matehar P.O. Pathiar Distt. Kangra, H.P.	Complainant wants to register herself in the PER	ERO (SDM) Kangra has informed the complainant in written about the procedure for registration in the Electoral Rolls and preparation of fresh EPIC at new place of residence.	Disposed of
11.	10-10-12	Sh. Hardeep Kumar, V.P.O. Majhog Sultani, Tehsil & District Hamirpur	Issuance of Duplicate EPIC	ERO(SDM) Hamirpur has informed the complainant to complete the required formalities for getting the duplicate EPIC.	Disposed of
12.	2-11-12	Sh. Santosh Kumar, V.P.O. Ustehar, Tehsil Baijnath Distt. Kangra, H.P.	Complaint regarding correction in the EPIC.	ERO (SDM) Baijnath has informed the complainant to submit the required documents for the issuance of corrected EPIC.	Disposed of.
13.	04-11-12	Sh. Vabhav Sharma, House No.145-B, Upper Main Market, Bilaspur, H.P.	Complaint regarding deletion of name from Electoral Rolls	Complaint has been disposed of by ERO(SDM), Sadar Bilaspur on 21-11-2012. The complainant has been asked to fill up Form-6.	Disposed of.
14.	5-11-12	Dr. Saroj Kumar Patial, R/O House No.4 Phase-2, Housing Board Colony, Bilaspur, H.P.	Complaint regarding deletion of name from Electoral Rolls	Complaint has been disposed of by ERO(SDM), Sadar Bilaspur on 21-11-2012. The complainant has been asked to fill up Form-6.	Disposed of.
15.	09-12-12	Sh. V.C. Katoch (Gen. Mgr.Retd.) R/O The Retreat 155-Sha Nagar, P.O. Dharamsahla, Kangra	Complaint regarding non-inclusion of name in the PER	ERO (SDM) Dharmashala has reported that Form-6 has been delivered to the complainant through BLO for inclusion of name in the PER	Disposed of.
16.	10-12-12	Ms. Amar Dei Kanta, Chairperson, Panchayat Samiti Pangi, Distt. Chamba	Mass Deletion of Voters	As per information received from DEO (DC) Chamba, the AERO Pangi has conducted the enquiry. As per the enquiry report complaint was found baseless.	Disposed of
17.	19-12-12	Ex. Sub. Sher Singh R/O Village Barota, Ward No.2 of Plah Chaklu Panchayat, Nagrota Bagwan Block, Tehsil Baroh, District Kangra	Complaint regarding deletion of name from Electoral Roll	ERO (SDM) Kangra has reported that Form-6 has been delivered to the complainant through BLO for inclusion of name in the PER	Disposed of
18.	19-12-12	Sh. Kartar Singh, Up Pradhan, GP Kunr, District Chamba	Deletion of names from PER	ERO(ADM)Bharmour has directed the BLO to provide the Form-6 to the complainant for inclusion of name in the PER	Disposed of
19.	07-01-13	Sh.Jaggan Nath, V.P.O. Bhulana, Tehsil Baijnath, District Kangra	Deletion of names from PER	The complainant has submitted form-6 to the concerned Designated Officer during current special summary revision.	Disposed of
20.	14-01-13	Sh. Tarsem Lal V&PO Bharoli Jadid, Tehsil Rakkar Distt. Kangra	Complainant has lost his EPIC & wants duplicate EPIC	ERO (SDM) Dehra has informed the complainant to submit the required documents for the issuance of duplicate EPIC.	Disposed of.

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
21.	27-01-13	Sh. Visharad Saxena, House No. 137/3, V.P.O. Jassur, District Kangra	Complaint regarding non-receipt of EPIC	As per ERO (SDM) Nurpur report, the EPIC has been prepared and distributed to the complainant through BLO	Disposed of.
22.	16-02-13	Sh. Punjab Singh Rana, V & P.O. Simbal, Tehsil Baijnath, District Kangra	Complainant wants to know information about concerned BLO	The detail of the concerned BLO has been conveyed to the complainant.	Disposed of
23.	23-02-13	Sh. Dhiraj Chawla, Advocate & Solicitor, H.No.207, Sector-45-A, Chandigarh	Complaint regarding dual registration of Sh. Vinod Kumar and his wife.	As per report received from ERO Amb, the complainant Sh.Vinod Kumar has informed that he has applied for deletion of name from 40-Dasuya A.C. of Punjab State and his wife applied for deletion of name from 42-Gagret A.C. of H.P.	Disposed of
24.	11-03-13	Sh. Praveen Kumar, V& P.O. Dhari, Tehsil Dharamshala, District Kangra	Complainant has lost his EPIC and also wants to make corrections in the E-Roll.	ERO (SDM) Dharamashala has informed the complainant to submit the required documents.	Disposed of.
25.	13-03-13	Sh. Anuj Prasher, Vill. Balla, P.O. Rakh, Tehsil Palampur, District Kangra	Complainant wants duplicate EPIC as already issued EPIC got damaged due to rain	The complainant has advised to fill up Form-ID-ECI-EPIC-001 alongwith damaged EPIC in the Office of ERO Palampur	Disposed of
26.	20-03-13	Sh. Kashmiri Lal, VPO Passu Tehsil Dharmashala, Distt. Kangra	Complainant has lost his EPIC	ERO (SDM) Dharamashala has connected the complainant telephonically and he told that he has found his EPIC	Disposed of